बी॰एड॰ भाग-प्रथम

पेपर : IV और V विकल्प (i)

सैमेस्टर - पहला

हिन्दी शिक्षण

डिस्टैंस एजुकेशन विभाग
पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला
(सर्वाधिकार सुरक्षित)

विषय-सूची

पाठ संख्या :

Unit A

2.1 : भाषा शिक्षण की प्रचलित विधियाँ और हिन्दी शिक्षण के सिद्धान्त और सूत्र

2.2 : भाषा शिक्षण की प्रचलित विधियाँ और हिन्दी शिक्षण के सिद्धान्त और सूत्र

2.3 : भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धान्त : प्रस्तावना

2.4 : हिन्दी भाषा के विविध रूप – मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा व अर्न्तराष्ट्रीय भाषा

नोट : विद्यार्थी सिलेबस विभाग की वैबसाईट www.pbidde.org से डाउनलोड करें।

पाठ नं॰ 2.1 **मधु नरुला**

हिन्दी भाषा : स्वतन्त्रता से पहले और बाद का स्वरूप

2.1.0 उद्देश्य
2.1.1 हिन्दी भाषा : स्वतन्त्रता से पहले और बाद का स्वरूप
  2.1.1.1 स्वतंत्रता से पहले हिन्दी भाषा का स्वरूप
  2.1.1.2 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हिन्दी भाषा का स्वरूप
2.1.2 हिन्दी भाषा शिक्षण व अधिगम
2.1.3 हिन्दी भाषा शिक्षण व अधिगम के समय शिक्षक और शिक्षार्थी के सामने आने वाली चुनौतियाँ
2.1.4 अभ्यास के लिए प्रश्न
2.1.5 सहायक पुस्तकें

2.1.0 उद्देश्य : इस अध्याय के पठनोपरांत विद्यार्थी को

(i) स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भाषा के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा।

(ii) हिन्दी भाषा शिक्षण व अधिगम की चुनौतियों का ज्ञान हो पाएगा।

2.1.1 हिन्दी भाषा : स्वतंत्रता से पहले और बाद का स्वरूप

हिन्दी का जन्म भारत भूमि की आत्मा से हुआ है। इसलिए जो इसको बोलता व लिखता है उसकी भाषा भारतीय संस्कृति से ओत-प्रोत भाषा होती है। हिन्दी साहित्य लोगों के दर्दों की कहानी कह कर जनमानस को झकझोड़ देता है। आज भारत में लगभग 75% लोग हिन्दी बोलते व समझते हैं।

2.1.1.1 स्वतन्त्रता से पहले हिन्दी भाषा का स्वरूपः हिन्दी भाषा का आरम्भ आज से लगभग एक हज़ार वर्ष पूर्व हो चुका था। हिन्दी का विकास 'शौरसेनी अपभ्रंश' से माना गया है। आरम्भिक हिन्दी पर संस्कृत भाषा का प्रभाव था परन्तु धीरे-धीरे विभिन्न उपभाषाओं के प्रभाव से इसका रूप सरल होता गया और एक स्वतन्त्र रूप की ओर विकसित हुई। अतः हिन्दी में विभिन्न भाषाएं जैसे मैथिली, ब्रज, खड़ी बोली, अवधि, पंजाबी का प्रभाव नज़र आता है। आज जो हिन्दी की स्थिति है उसका विचार करने से पूर्व हमें हिन्दी के स्वरूप को ठीक से समझने के लिए हमें स्वतन्त्रता पूर्व की हिन्दी को तीन शीर्षकों के अन्तर्गत समझना होगा।

1. **आदिकालः** आदिकाल में पुरानी हिन्दी को एक विशेष स्थान प्राप्त था। चारणों और लोक गायकों ने समकालीन परिस्थितियों के अनुकूल ओजस्वी वीर गाथाओं की रचना की उनकी भाषा को डिंगल कहा गया। उस समय जो भी भाषाओं और बोलियों का प्रयोग हुआ है। वह

प्राकृत और अपभ्रंश से विकसित हुई। ये सभी बोलचाल लोकगीतों व लोक काव्यों का माध्यम रही है। बौद्ध भिक्षुओं, जैन साधुओं, नाथों, सिंह पंथकों और महात्माओं ने इन्हीं बोलियों व उपभाषाओं में अपने उपदेशों का प्रचार किया। इसको अनेक विद्वानों ने 'पुरानी हिन्दी' का नाम दिया।

2. **मध्यकालः** यह युग भक्तिकाल से भी जाना जाता है। हिन्दी जन मानस की भाषा बनकर लोक संस्कृति की पहचान बनी। वही भाषा को मध्यकाल के भक्तों, सन्तों ने अपनाया है। प्राचीन ज्ञान संस्कृत में सुरक्षित था। इस काल तक आते-आते अपभ्रंश से निकली अवधि में भारत की भावनाओं को अभिव्यंजित किया। यह लोकभाषा बनी। विद्वानों ने हिन्दी के नाम से प्रतिष्ठित किया। भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले साहित्यकार संत कबीर, जायसी सूर, तुलसी, मीरा, केशव, नामदेव रहीम, रसखान, भूषण इसी भाषा में रचनाएँ लिखी है।

3. **आधुनिक कालः** अरबी फारसी के प्रभाव के साथ 1800 ई॰ में हिन्दी काफी विकसित हो चुकी थी। पद्य और गद्य में रचनाएँ होने लगी। जिसको खड़ी बोली ने काफी प्रभावित किया। सन् 1800 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से हिन्दी विभाग खोला गया। यहाँ हिन्दी को प्रचारित करने का अवसर मिला। इस समय के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेन्दु, द्विवेदी, हरिऔध, गुप्त, प्रसाद पन्त, निराला, महादेवी को हिन्दी के प्रति जन मानस में प्रेम भरने का श्रेय जाता है। भारतेन्दु एवं उनकी मण्डली ने हिन्दी में साहित्य रचनाओं से हिन्दी का भारत में प्रचार किया। राजा राम मोहन राय ने सन् 1826 में 'बंगदूत' नाम का पत्र हिन्दी, अंग्रेज़ी, बंगला में निकाला।

4. **अंग्रेज़ काल में हिन्दी का स्वरूपः** अंग्रेज़ों के आगमन पर उन्होंने महसूस किया कि देश में आपसी विचार-विमर्श के लिए कोई सामान्य भाषा होनी चाहिए तो यह भाषा हिन्दी हो सकती थी। 1801 में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने घोषणा की थी कि प्रशासनिक सेवा में केवल उन्हीं व्यक्तियों को ऊँचे पदों पर नियुक्त किया जाएगा जिन्हें हिन्दुस्तानी भाषा का ज्ञान होगा। इसलिए अनेक अंग्रेज़ अधिकारियों ने हिन्दी सीखी। कुछ अंग्रेज़ अधिकारियों व विद्वानों ने जैसे विलियम वर्डस्वर्थ, ग्रिलक्राइस्ट, जॉर्ज ग्रियर्सन आदि ने, भी स्थानीय लोगों से सम्पर्क के लिए हिन्दुस्तानी परीक्षा की ज़रूरत पर बल दिया। सन् 1857 में भारत के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में हिन्दी भाषा को ही प्रयोग में लाया गया। स्वामी दयानन्द ने हर आर्य समाजी के लिए हिन्दी पढ़ने की अनिवार्यता घोषित की। 1909 ई॰ में बड़ौदा नरेश, बंगाल के रमेश चन्द दत्त और महाराष्ट्र के रामकृष्ण गोपाल भंडारकर महोदय आदि हिन्दी के क्षेत्र के बाहर के विद्वानों द्वारा आयोजनों में हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने की मांग पर मोहर लगाई। श्री राजगोपाल चार्य (मुख्यमंत्री) ने हिन्दी को विद्यालयों में अनिवार्य विषय बनाया।

2.1.1.2 स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात हिन्दी का स्वरूपः भारत के स्वतन्त्र हो जाने पर नेहरू जी ने कहा था — अंग्रेज़ी निश्चय ही एक थोपी हुई भाषा है। इसने हमारे लिए ज्ञान-विज्ञान की खिड़कियाँ ज़रूर खोली और हमें बहुत कुछ ज्ञान भी दिया पर इस पर ऐसी भाषा होने

का लांछन भी है जो हमारी अपनी भाषाओं हमारी सांस्कृतिक परम्पराओं के ऊपर जमकर बैठ गई है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले बहुत से पत्र, पत्रकारिता ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में योगदान डाला था। 15 अगस्त, 1947 तक हिन्दी जनमानस की एक लोकप्रिय भाषा बन चुकी थी। भारतीय 1800 भाषाओं और उपभाषाओं में हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में मानने में ज़रा भी अतिश्योक्ति कहना या किसी प्रकार का दुराग्रह नहीं होना चाहिए।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं सन् 1947 तक हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने के साथ राजभाषा के रूप में संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने में सक्षम हो चुकी थी। 1946 में संविधान सभा को गठन हुआ। संविधान सभा में हिन्दी प्रारूप में स्टेट लैंग्वेज़ का हिन्दी अनुवाद 'राजभाषा' किया गया।

1. **संविधान सभा में राजभाषा पर चर्चा एवं निर्णयः** इसके लिए बहुत ही विचार विमर्श एवं मतदान के पश्चात संविधान सभा में राजभाषा सम्बन्धी उपबन्धों के विषय में चर्चा मुख्यतः 12, 13, 14 सितम्बर, 1949 को हुई। श्री एन गोपाल स्वामी अय्यगर राजभाषा के मुद्दे पर संविधान सभा के सदस्यों में सहमति बनाने वालों में प्रमुख थे। उन्होंने इस सम्बन्ध में सहमति की घोषणा की एवं कहा कि नए संविधान के अंतर्गत हिन्दी को संघ के सभी सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में अपनाने का निर्णय हुआ है।

इस तरह 14 सितम्बर, 1949 की सायंकाल 5.00 बजे संविधान सभा की कार्यवाही व काफी लम्बी चर्चा के बाद विभिन्न गुटों में समझौते के पश्चात 14 सितम्बर, 1949 को संविधान सभा ने हिन्दी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। सभा के अध्यक्ष डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद ने सदस्यों को बधाई दी।

2. **हिन्दी का राजभाषा स्वरूपः** हिन्दी कई दशकों से राजभाषा के संवैधानिक दायरे में विकासोन्मुख हो रही है। जो भाषा सरकारी काम काज में प्रयुक्त होती है हम उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करती है। संविधान सभा ने जिस हिन्दी की राजभाषा के रूप में कल्पना की थी। वह आम आदमी की भाषा थी। राजभाषा विभाग ने कार्यालय ज्ञापन सं॰ 11/13034/23/75 रा॰भा॰ (ग) दिनांक 17.3.1976 द्वारा सरकारी कामकाज में सरल हिन्दी के प्रयोग पर बल देते हुए राजभाषा हिन्दी के स्वरूप के बारे में स्पष्ट किया था कि सरकारी कामकाज में इस्तेमाल की जाने वाली हिन्दी सरल और सुबोध होनी चाहिए जटिल और बोझिल नहीं।

3. **केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में राजभाषा का प्रयोग में वृद्धि के लिए गये प्रयासों का विवेचनः**

   (i) कार्यालयों में हिन्दी में कार्य करने हेतु एक वातावरण निर्माण करने के लिए सरकार ने प्रयास किए जैसे कि कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए कार्यालयों की स्थापना।

   (ii) हिन्दी के प्रयोग में वृद्धि हेतु जून 1975 में गृह मंत्रालय के अधीन एक स्वतन्त्र

विभाग के रूप में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई।

(iii) केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना से अनुवाद कार्य को गति मिली है।

(iv) केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना दिनांक 21 अगस्त, 1985 को की गई।

(v) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय खोले गए हैं मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है जिसके अध्यक्ष निर्देशक हैं। इसके अधीन बेंगलूर, कोचीन, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, भोपाल, दिल्ली एवं गाज़ियाबाद में स्थापित है।

(vi) अच्छा कार्य करने वाली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को पुरस्कार दिया जाता है।

(vii) टाईपराइटरों पर देवनागरी लिपि की सुविधाएँ प्रदान करना।

निष्कर्ष

उपर्युक्त हिन्दी के स्वरूप पर विचार करने पर यह कहने में अतिश्योक्ति नहीं होगी। पिछले कुछ वर्षों में हिन्दी विकास में कमी रही है राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में हिन्दी विकास पिछड़ा है इसे राजभाषा मानते हुए भी हिन्दी में कार्य का अभाव रहा है क्योंकि हमारे जनमानस में इस भाषा के प्रति प्रियता है। परन्तु कुछ लोगों में उच्च वर्ग अंग्रेज़ी की चाल ढाल में ढला है और जब तक उसकी मन से दासता स्वीकार करता रहेगा तब तक विकास और स्वरूप से हिन्दी राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में अवहेलना होती रहेगी। हिन्दी के विरोध का कोई भी आन्दोलन राष्ट्र की प्रगति में बाधक है। आज विश्व स्तर पर हिन्दी भाषा-भाषियों की संख्या 730 मिलियन तथा चीनी 726 मिलियन तथा अंग्रेज़ी 397 मिलियन है। यदि इस आधार पर माना जाए तो हिन्दी विश्व की प्रथम भाषा है। आज विश्व के अनेक देशों में हिन्दी की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। हिन्दी संचार माध्यम, रेडियो दूरदर्शन कम्प्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल लैपटॉप की भाषा बन चुकी है। हिन्दी प्रसारण चैनलों ने धूम मचा रखी है। बच्चों में 'डिज़नी', कार्टून डोनाल्ड डक और 'मिकी माऊस' के हिन्दी प्रसारण लोकप्रियता की चरम सीमा छू रहे हैं। डिस्कवरी व ज्योग्राफी चैनलों में भी डब की गई हिन्दी में प्रसारित होने के कारण लोकप्रियता हासिल की है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि लोगों की यह प्रिय भाषा है और राष्ट्रभाषा अधिकारिक रूप से घोषित हो सकती है।

2.1.2 हिन्दी भाषा शिक्षण व अधिगम

भारत में हिन्दी समझने वालों की संख्या 74.40% है, भोपाल में 10वें विश्वसम्मेलन में सरकार की तरफ से हो रहे प्रयासों को इन्हें स्पष्ट किया गया है कि हिन्दी संयुक्त राष्ट्र भाषा संघ की छठीं आधिकारिक भाषा के रूप में बनाया जाएगा। किसी भाषा को सीखने के क्रम में प्रथमतः चार कौशल जरूरी है। हिन्दी में भी यही चार कौशल– समझना (श्रवण), बोलना (मौखिक अभिव्यक्ति), पढ़ना (अक्षरों वर्णों, मात्राओं इत्यादि का ज्ञान) लिखना (लिपि

की बनावट इत्यादि का ज्ञान) आवश्यक है। धीरे–धीरे गहन अध्ययन स्वाध्याय से गद्य, कविता, लेखों का बोध, साहित्य का ज्ञान इत्यादि भी आवश्यक रहता है। भाषायी कौशल बढ़ाने के लिए निरन्तर अभ्यास की आवश्यकता रहती है। शिक्षक को हिन्दी शिक्षण में इस बात पर विशेष ध्यान रखना होता है कि शिक्षण का नियोजन इस ढंग से करे कि छात्रों की योग्यताओं के अनुसार व्यक्तित्व का विकास का प्रयास किया जा सके। इस के अनुसार जब हिन्दी–शिक्षण हो तो शिक्षक और शिक्षार्थी समान रूप से क्रियाशील रहे। परन्तु आज के शिक्षण में शिक्षक के अपेक्षा शिक्षार्थी अधिक सक्रिय रहता है। शिक्षण प्रक्रिया में देखा जाता है कि अक्सर औसत शिक्षार्थियों के अनुसार शिक्षण की व्यवस्था रहती है व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर यथानुसार ध्यान नहीं दिया जाता। और प्रतिभाशाली तथा कमजोर शिक्षार्थियों की अवहेलना रहती है पर यदि हम उनकी कठिनाइयों की बात करें, तो न ही सामान्य, न प्रतिभाशाली, न ही कमजोर शिक्षार्थियों पर कोई ध्यान नहीं रहता।
प्रश्न पैदा होता है कि शिक्षक को हिन्दी–शिक्षण में और शिक्षार्थियों को अधिगम के समय कौन–कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिनका उल्लेख निम्न अनुसार है। इसको दो भागों में बाँट कर करेंगे।

1. निदानात्मक शिक्षण (Diagonistic Teaching)
2. उपचारी शिक्षण (Remedial Teaching)

(क) निदानात्मक शिक्षण (Diagonistic Teaching)

जब किसी व्यक्ति को शारीरिक रोग है तो इलाज से पहले पता लगाया जाता है कि उसको क्या रोग या दोष है? इस दोष का पता लगाना निदान कहलाता है। इस तरह जब शिक्षार्थी भाषा सीखते है तो वह कई प्रकार के दोष करते रहते हैं उन्हें शिक्षण प्रक्रिया में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई विद्यार्थियों का अशुद्ध उच्चारण होता है। कुछ लिखने में व्याकरण एवं वर्तनी की अशुद्धियाँ करते हैं। विद्यार्थियों के भाषा सम्बधी दोषों को यदि शिक्षक नहीं समझते तो वही दोष जीवन पर्यन्त चलते है यदि वही पर शिक्षक उसका उपचार करे तो निश्चित रूप से शिक्षार्थी समझते भाषा अधिगम में आने वाली कठिनाइयों का हल निकाल लेते हैं।
निदानात्मक–शिक्षण से जो भी दोष पकड़ में आते है। उनको शिक्षक समझें यह शिक्षार्थियों की परीक्षाओं से पहले होना चाहिए। परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर विद्यार्थियों का क्षमाताओं कर स्तर निर्धारित किया जाता है। क्योंकि उस समय अंकों के आधार पर स्तर का पता चलता है। यदि अंक कम है तो परीक्षा में त्रृटियां अधिक है। और त्रृटियों का निवारण परीक्षाओं से पहले होना चाहिए। कई बार परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर त्रृटियाँ नज़र आती। यह शिक्षक द्वारा निदानात्मक शिक्षण न होने के कारण से होता है। सोचिए कि कई 'ष', 'स', 'श', के उच्चारण के अन्तर को समझ नहीं पाते, शिक्षक भी उस ओर ध्यान नहीं दे पाते तो यह ध्वनि पक्की हो जाती है। यह सब दोषों को जानने के लिए शिक्षक की ओर से निदानात्मक शिक्षण की आवश्यकता है।

इस प्रकार शिक्षक को हिन्दी शिक्षण में शिक्षार्थियों की निम्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, उनका पता लगाना चाहिए। जिससे शिक्षार्थियों को भी उन्हें ठीक करने के अवसर मिलें।

1. हिन्दी शिक्षण व अधिगम सम्बन्धी चुनौतियों को पहचानना

(i) शिक्षक अशुद्ध वाचन के लिए पता लगाए कि ऐसे कौन–कौन से कारण है। शिक्षार्थियों को इस सम्बन्धी अनभिज्ञता ही हो, दूसरी शारिरीक दोष हो सकता है, या फिर अभ्यास की कमी हो सकती है, या फिर पारिवारिक या स्थान का, वातावरण का प्रभाव होता है।

(ii) लेखन सम्बन्धी चुनौतियों के विषय में भी उनके दोषों को पहचानना और उनका उपचार आवश्यक है। लेखन सुन्दर न होना, उसमें सुडौलता की कमी, अक्षरों के बनावट में कमी, गति से न लिख पाना, अस्पष्टता होना इत्यादि विषय–वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से न लिख पाना, क्रमबद्धता का अभाव होना इत्यादि।

हिन्दी भाषा के शिक्षक को व शिक्षार्थी को मौखिक अभिव्यक्ति सम्बन्धी भी बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शिक्षार्थी की मातृभाषा हिन्दी है। तो वह धारा प्रवाह बोलता है। यदि हिन्दी द्वितीय भाषा या राष्ट्र भाषा के रूप में कुछ वर्ष पढ़ी है तो उन दोनों के समक्ष बहुत सी कठिनाइयाँ रहती हैं। शिक्षक अभ्यास के मौके नहीं दे पाता और शिक्षार्थी भी अभ्यास में रूचि नहीं दिखाता। दोनों के सामने मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता में कुशलता का निर्माण करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

हिन्दी भाषा शिक्षण व अधिगम की चुनौतियों को हल करने की विधियाँ

1. निरीक्षण विधि
2. परीक्षण विधि
3. साक्षात्कार विधि
4. संचित अभिलेखा विधि

1. **निरीक्षण विधिः** इस विधि से शिक्षक सचेत रहता है कि किस तरह की अशुद्धियाँ या चुनौतियाँ शिक्षार्थी कर रहा है। उसका कारण ध्यान से देखा जाता है। उदाहरण यदि कोई शिक्षार्थी अशुद्ध वाचन करता है। तो शिक्षक निरीक्षण से यह पाता है कि उसने आदर्शवाचन ध्यान से नहीं सुना है। या कानों में दोष है या पारिवारिक प्रभाव है। ऐसी स्थितियों में शिक्षार्थी को भलीभांति कारण जान कर उसे सचेत और अभ्यास से दूर करवाया जाता है। अक्सर देखा जाता है कि शिक्षार्थी 'विद्वान' शब्द को पहचान नहीं पाते कि आधा अक्षर 'व' है 'द' है। 'द' के नीचे 'ध' ही लिखकर काम चला लेते है। शिक्षक शिक्षार्थियों के समक्ष स्पष्ट करें। उनको समय देकर श्यामपट्ट की सहायता से समझाएं।

2. **परीक्षण विधिः** अधिकांश शिक्षार्थी अपने अपमान की वजह से बहुत सी त्रृटियों को व्यक्त नहीं करते। ऐसी स्थिति में लिखित और मौखिक कक्षा परिक्षाओं से जांचा जा सकता है। पर ध्यान रहे ये परिक्षाएं त्रैमासिक छः मासिक नहीं होनी चाहिए। कक्षा परीक्षाएं हर पाठ

की समाप्ति बाद चलनी चाहिए। इन परीक्षाओं के अतिरिक्त कई शिक्षाविदों ने निदानात्मक परीक्षणों का भी निर्माण किया है। जिन की सहायता से भाषा–सम्बन्धी त्रृटियों को जाना जा सकता है।

3. **साक्षात्कार विधिः** कुछ शिक्षार्थी संवेगात्मक एवं हीन भावना के शिकार होते है उनके लिए साक्षात्कार विधि अत्यन्त प्रभावशाली रह सकती है। साक्षात्कार विधि तभी सफल रह सकती है जब शिक्षार्थी को यह पता हो हमारे शिक्षक को हम से सहानुभूति है, वह हमारे मित्र की भांति है। मार्गदर्शक है, और इंसान है। तभी शिक्षार्थी बिना किसी झिझक के साक्षात्कार के लिए तैयार हो सकेगा। शिक्षार्थी का शिक्षक के साथ पूर्व कड़वाहट पूर्ण अनुभव 'साक्षात्कार से भी चुनौतियों को समझने से सफलता नहीं मिलेगी। अतः शिक्षक को अपना व्यवहार आत्मीयतापूर्ण रखने की आवश्यकता है।

4. **संचित अभिलेखा विधिः** संचित अभिलेख से अभिप्राय है कि विद्यार्थियों की प्रगति का लेखा–जोखा रखना। शिक्षार्थी के विद्यालय में प्रवेश से ही उसकी रूचियों अभिरूचियों, इच्छाओं तथा विभिन्न क्रियाओं को रिकार्ड रखना आवश्यक है शिक्षार्थियों की कठिनाइयों को समझने व जानने के लिए संचित लेखों को परखा जा सकता है। केवल भाषा सम्बन्धी कठिनाइयों का हल ही शिक्षण, अधिगम–प्रक्रियों को प्रभावशाली नहीं बनाता बल्कि इन अभिलेखों से शिक्षार्थी का मानसिक विकास, बौद्धिक विकास की प्रगति का लेखा भाषा सम्बन्धी चुनौतियों को समझने में सहायक बनता है। परन्तु ये अभिलेख पूर्ण और उचित ढंग व व्यवस्थित हो तभी इन का लाभ उठाया जा सकता है।

(ख) उपचारी शिक्षण (Remedial Teaching)

उपचार शिक्षा से अभिप्राय है कि हिन्दी–शिक्षण में शिक्षार्थियों की भाषा सम्बन्धी चुनौतियों का निराकरण करना। जब शिक्षक ने ऊपरलिखित विधियों द्वारा शिक्षार्थियों की भाषा सम्बन्धी त्रृटियों व चुनौतियों को जान लिया है। शिक्षक जब तक उन्हें निराकरण नहीं करेगा। तब तक शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती और यह भी जानना जरूरी है कि शिक्षक ने जो शिक्षार्थी को सिखाया है उसके सीखने पर उसमें परिवर्तन आया है या नहीं। शिक्षक के सामने उपचार के समय बहुत बड़ी चुनौती रहती है भाषा सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ सामने है पर उनका हल कैसे हो? क्या करे? कि शिक्षार्थियों के भाषायी विकास के लिए समुचित दिशा मिले और वांछित पविर्तन हो सके।

उपचार की विधियाँ

1. **सामूहिक उपचार विधिः** कक्षा के समूह की ही भाषा सम्बन्धी चुनौती का हल करना सामूहिक उपचार है। शिक्षक इसके लिए सामान्य अशुद्धियों की सूची तैयार कर लेता है जैसे वाचन, अक्षर विन्यास, लेखन, व्याकरण की सूचियां बना ली जाए। कक्षा में शिक्षक आदर्श वाचन जरूर करें और शिक्षार्थियों से व्यक्तिगत वाचन भी करवाए। इसी तरह अन्य त्रृटियों का हल श्यामपट्ट के प्रयोग से भी किया जा सकता है। इस में शिक्षक और शिक्षार्थियों के समय की बचत भी होती है।

2. **व्यक्तिगत उपचार विधिः** व्यक्तिगत उपचार हर शिक्षार्थी की व्यक्तिगत चुनौतियों अर्थात् अशुद्धियों कठिनाइयों से सम्बन्धित होता है। इस में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर ध्यान देना जरूरी होता है। क्यों कि उसकी अपनी क्षमताएं, योग्यताएं, रूचियां अभिरूचियां होती है। व्यक्तिगत विधि इसलिए भी उचित है कि इसमें शिक्षार्थी की परिस्थितियों, बौद्धिक और मानसिक विकास एवं उसकी विवशताओं को भी ध्यान में रखा जा सकता है। शिक्षक अच्छा पारखी होता है। यदि उसमें परख करने की योग्यता नहीं भी है फिर भी उसे इसका विकास करना ही होगा। मनोविज्ञान का अध्ययन हर हिन्दी शिक्षण के शिक्षकों के लिए आवश्यक विषय के रूप में होना चाहिए तभी व्यक्तिगत उपचार विधि से कठिनाइयों को दूर करने की क्षमता एवं गुण पैदा हो सकते है।

इसके अतिरिक्त शिक्षक शिक्षार्थियों का उत्साह भी बढ़ाता रहे उनके दोषों का कक्षा में चिल्ला कर बताने से वह अपमानित महसूस करते हैं। ऐसा करने से उनके मन में गांठे बन जाती है और वह हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। उनके साथ प्रेम भावना सद्‌भावना, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बहुत आवश्यक है।

2.1.3 हिन्दी भाषा शिक्षण व अधिगम के समय शिक्षक और शिक्षार्थी के सामने आने वाली चुनौतियाँ

हर बच्चा मातृभाषा को बड़ी ही सुगमता से सीख जाता है। जहां पर हिन्दी मातृभाषा के रूप में विद्यार्थी पढ़ता है उसे हिन्दी–अधिगम (सीखना अथवा व्यवहार परिवर्तन) में ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता न ही शिक्षक को हिन्दी शिक्षण में अधिक कठिनाइयां आती है परन्तु अहिन्दी भाषी प्रदेशों में शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए हिन्दी शिक्षण और हिन्दी अधिगम श्रम साध्य कार्य है। हिन्दी भाषा शिक्षण व अधिगम के समय शिक्षक शिक्षार्थी के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार विमर्श करने से पहले शिक्षण और अधिगम से क्या अभिप्राय है यह जान लें।

शिक्षण का अर्थ

साधारण शब्दों में सीखाने की क्रिया को शिक्षण कहा जाता है परन्तु शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है इसको बहुत सी बातें प्रभावित करती हैं जैसे समाज, वातावरण, साधन, मूल्य, मान्यताएं इत्यादि। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व के सम्पर्क में आता है और कम विकसित व्यक्तित्व की आगे की शिक्षा के विकास की व्यवस्था करता है। इस तरह हम कह सकते है शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिस का नियोजन ऐसे वातावरण में हो जो सकारात्मक व सापेक्षता में छात्रों को सिखाने के लिए प्रयत्न है। शिक्षण का अर्थ ही सिखाना होता है। यह प्रक्रिया सोद्देश्य हो, विकासातमक हों, उपचारात्मक हो एवं सततः हो, औपचारिक एवं अनौपचारिक भी हो सकती है।

अधिगम का अर्थ

अधिगम का साधारण अर्थ 'सीखना' परन्तु आज के शिक्षा विद् अधिगम को व्यापक व्यापक

अर्थों में लेते हैं सीखने के साथ व्यवहार में परिवर्तन भी होना आवश्यक हैं। अर्थात् अधिगम का अर्थ है सीखना अथवा व्यवहार परिवर्तन। परन्तु व्यवहार में परिवर्तन तभी श्रीधातिश्रीघ आता है जब शिक्षार्थी अनुभव से सीखता है। किसी ने तैराकी करनी है। परन्तु जब तक वह पानी में नहीं कूदेगा। तब तक तैराक बनना असम्भव है। उसके लिए उसको पानी में तैरने का अनुभव चाहिए। खाली नियम या सिद्धांत बताने से वह नहीं सीख पाएगा। अर्थात् अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है।

गेट्स ने कहा है, "अनुभव एवं प्रशिक्षण से व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं।"

क्रानबेक के अनुसार, "अधिगम अनुभव के परिणामस्वरूप व्यवहार परिवर्तन द्वारा प्रदर्शित होता है।"

स्किनर के अनुसार, "अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है।"

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधिगम प्रक्रिया मानव की ऐसी प्रवृति है जिससे व्यक्ति की मानसिक, सामाजिक योग्यताओं का विकास होता है। यह जीवनपर्यन्त चलने वाली स्वतः तथा नियोजित एवं सक्रियतापूर्ण प्रक्रिया है।

2.1.4 अभ्यास के लिए प्रश्न :

(i) स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिन्दी भाषा के स्वरूप में आए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए।

(ii) हिन्दी भाषा शिक्षा व अधिगम में अध्यापक व विद्यार्थी किस प्रकार की चुनौती का सामना करते हैं।

2.1.5 सहायक पुस्तकें :

1. हिन्दी शिक्षण – डा. जय नारायण कौशिक हरियाणा साहित्य अकादमी, चण्डीगढ़।
2. हिन्दी भाषा शिक्षण – भाई योगेन्द्रजीत, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
3. आधुनिक हिन्दी शिक्षण – डा. जसबन्त सिंह जस न्यू बुक कम्पनी, भाई हीरा गेट, जालन्धर।
4. हिन्दी शिक्षण – केशव प्रसाद धनपत राय एण्ड सन्स, नई सड़क, दिल्ली।

पाठ नं॰ 2.2 **मधु नरुला**

भाषा शिक्षण की प्रचलित विधियाँ और हिन्दी शिक्षण के सिद्धान्त और सूत्र

2.2.0 उद्देश्य

2.2.1 भाषा शिक्षण की प्रचलित विधियाँ

   2.2.1.1 प्रत्यक्ष प्रणाली

   2.2.1.2 संरचनात्मक उपागम (ढांचागत प्रणाली)

2.2.2 संश्लेषणात्मक विधि

2.2.3 विश्लेषणात्मक विधि

2.2.4 हिन्दी शिक्षण के सिद्धान्त और सूत्र

2.2.5 शिक्षण सूत्रों के सिद्धान्त

2.2.6 भाषा शिक्षा के मुख्य तत्व

2.2.7 अभ्यास के लिए प्रश्न

2.2.8 सहायक पुस्तकें

2.2.0 उद्देश्य : इस अध्याय को पढ़ने के उपरांत विद्यार्थी को

(i) भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष प्रणाली का ज्ञान हो पाएगा।

(ii) भाषा शिक्षण की ढांचागत प्रणाली के संबंध में ज्ञान हो पाएगा।

(iii) संश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक विधि का ज्ञान हो पाएगा।

(iv) भाषा शिक्षण के मुख्य सिद्धान्तों का ज्ञान हो पाएगा।

(v) भाषा शिक्षा के मुख्य तत्वों का ज्ञान हो पाएगा।

2.2.1 भाषा शिक्षण की प्रचलित विधियाँ :

शिक्षक विभिन्न शिक्षणविधियों के ज्ञान से भाषा की शिक्षा देने में अपने आप को सक्षम महसूस करता है और शिक्षार्थी भी रोचकता से भाषा सीख जाते हैं। भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति रोचक शिक्षण का प्रतिपादन करता है। शिक्षक, जितने रूचिकर ढंग से विषय को प्रस्तुत करेगा। शिक्षार्थी उतनी ही तन्मयता के साथ श्रवण, अनुकरण, अभ्यास से भाषा

सहजता से सीख सकेगा।

आज मनोवैज्ञानिक एवं प्रयोगों तथा खोजों के आधार पर शिक्षा एवं शिक्षण विधियों को नये–नये आयामों से देखा जाता है।

ड्यूवी ने कहा है कि "शिक्षा जीवन के अनुभवों के माध्यम से जीवन की तैयारी है।"

फ्रोबेल के अनुसारः "शिक्षकों द्वारा बालक को अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व के विकास का अवसर प्रदान करना चाहिए, शिक्षा का कार्य प्रतिबंध नहीं वरन् पथ प्रदर्शन है शिक्षा द्वारा विद्यार्थी के दैवी गुणों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।"

नवीन प्रयोगों के आधार पर जो शिक्षा प्रणालियां चल रही है, विशेष रूप से हिन्दी भाषा दृष्टिकोण से उनका वर्णन निम्नप्रकार हैः

2.2.1.1 प्रत्यक्ष प्रणाली

इस प्रणाली का विकास भाषा ज्ञान के प्राकृतिक आधार पर निर्धारित हुआ है। बच्चा अपनी मातृभाषा को सुनता है उसका अनुकरण करता है। परिणामतः थोड़े ही दिनों में वह बिना किसी प्रकार के अतिरिक्त श्रम के या भाषा नियमों को रटे बिना ही बोलने लगता है।

सीमाएँः

1. प्रत्यक्ष प्रणाली से भाषा ज्ञान करने वाला व्यक्ति उस भाषा के मूल में क्षमता प्राप्त नहीं कर पाता क्योंकि व्यक्ति उस भाषा में सोचता नहीं है।
2. सोचने के लिए व्यक्ति के मस्तिष्क में शब्द और भाव पूर्ण सामंजस्य होना आवश्यक है।
3. नैसर्गिक सुविधाओं का अभाव रहता है क्योंकि ये मातृभाषा सीखते हुए ही उपलब्ध होती है।
4. कई भाषाओं के लिए तो मातृभाषा सीखने वाला वातावरण तैयार होने की बात के लिए सोचा भी नहीं जा सकता।
5. इस प्रणाली में उसी भाषा में भाषण का ही अपना चरमलक्ष्य बनाए रखना ही दोषपूर्ण है।
6. शिक्षार्थी मातृभाषा का मस्तिष्क से बहिष्कार नहीं कर सकता। जब तक वह मस्तिष्क से नई भाषा को अपनाएगा नहीं तो कैसे सीख पाएगा।

कुछ सीमाएं होते हुए भी यह विधि सुगम है। हिन्दी शिक्षण के लिए इस पद्धति से विद्यार्थियों को भाषा में निपुणता हासिल करने में देरी नही लगेगी। इसीलिये इस विधि में मौखिक कार्य पर अधिक बल दिया जाता है।

2.2.1.2 संरचनात्मक उपागम (ढांचागत प्रणाली)

संरचना का अर्थ है– बनावटः हर भाषा का व्यवस्थित क्रम अर्थात बनावट होती है। उस बनावट को समझाते हुए भाषा सिखाना संरचनात्मक प्रणाली कहलाता है। इसमें वाक्यों की संरचनाओं पर विशेष बल दिया जाता है। इससे भाषा शिक्षण के लिए मौखिक कार्य व अभ्यास पर बल देना होता है। इस प्रणाली में भाषा के कुछ प्रमुख शब्दों एवं समान वाक्यों के माध्यम से भाषा शिक्षण आरम्भ होता है। शिक्षा विदों का इस प्रणाली के लिए मानना है कि कुछ निश्चित शब्दों तथा वाक्यों के ढांचों का प्रयोग करते करते शिक्षार्थी तीन या चार वर्ष में भाषा सीख जाता है। आवश्यक है भाषा–शिक्षण के सन्दर्भ में इन संरचनाओं को समझने का बड़ा महत्व है। सभी भाषाओं में पदों का अपना एक क्रम होता है। अंग्रेजी वाक्य में पदों को कर्ता, क्रिया और कर्म में व्यवस्थित किया गया है परन्तु हिन्दी में यह क्रम कर्ता, कर्म और क्रिया होता है। हिन्दी वाक्य में पदक्रम का नियम है कि पहले कर्त्ता, फिर कर्म या पूरक और अंत में क्रिया रखते हैं। जेसे राम पुस्तक पढ़ता है। यह, नहीं होता पुस्तक पढ़ता है राम। वाक्यों में पदों को उचित स्थान का विचार पदक्रम कहलाता है। वाक्य रचना में इस का ध्यान रखना आवश्यक है कई बार शब्दों के स्थानांतर से वाक्य में अर्थांतर हो जाता है जैसे हम भी शहर को जाते हैं, हम शहर को तो जाते हैं, इस तरह भाषा की संरचना पर ध्यान दिला कर भाषा शिक्षण हो सकता है। इसमें अभ्यास की आवश्यकता पर बल दिया जाता है।

इसमें मौखिक कार्य को भाषा–शिक्षण का आधार बनाया जाता है। वाक्यों के गठन को कण्ठस्थ कराया जाता है। शब्दों का अर्थ एवं संरचनाओं का ज्ञान और अभ्यास को ठीक परिस्थिति और सन्दर्भ को समझते हुए करवाया जाता है।

सीमाएंः

1. इसमें शब्द रचना उपेक्षित रहती है। वाक्य गठन पर अधिक बल दिया जाता है।
2. संरचनाओं को निर्माण और अभ्यास में बहुत समय एवं शक्ति व्यय होती है जो कि व्यवहारिक नहीं है।
3. सभी प्रकार के विषय को संरचनाओं के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता।
4. अधिक अभ्यास से नीरसता आती है।

यह हिन्दी शिक्षण उपयोगी विधि तो हे पर पूर्ण नहीं, भाषा शिक्षण में अभ्यास से सक्रियता भी लाती है। अंग्रेजी भाषा शिक्षण की यह सर्वोपयुक्त प्रणाली मानी जाती है यह पद्धति भाषा विशेषज्ञों द्वारा अनेक शोध, प्रयोग एवं अनुभव का परिणाम है। इसमें शिक्षार्थी भाषा के संरचनात्मक रूपों का अधिक अभ्यास से भाषा स्वतः सीख लेने में सक्षम हो जाता है।

हिन्दी भाषा के दृष्टि से आधारभूत संरचनाओं एवं शब्दावली के अभाव में शिक्षण सुव्यवस्थित नहीं हो पाता क्योंकि हिन्दी संरचना वचन और लिंग, आदि से जुड़ी कई कठिनाइयां हैं।

2.2.2 (क) संश्लेषणात्मक विधि :

इसके अंतर्गत दो विधियाँ आती हैं :–

1. अक्षर बोध विधि।
2. ध्वनि साम्य विधि।

(ख) विश्लेषणात्मक विधि :

1. देखो और कहो विधि।
2. वाक्य शिक्षण विधि।
3. कहानी विधि।

1. **अक्षर बोध विधि :** यह एक प्रभावी विधि और संसार में सबसे पुरानी विधि भी है। प्राथमिक स्तर पर इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अनुसार बच्चों को पहले स्वर–व्यंजन तथा मात्राएँ व संयुक्त अक्षरों का ज्ञान करवाया जाता है। अध्यापक अक्षर को पढ़ता है और विद्यार्थी उस अक्षर की ध्वनि को समझते हुए उसका अनुकरण करता है।

गुण :

(i) अक्षर बोध कराना वाचन करवाने के लिए अति आवश्यक है। इसके बिना कोई भी भाषा सीखना अति कठिन कार्य होता है।

(ii) एक–एक अक्षर की ध्वनि को समझते विद्यार्थी उसका अनुकरण करने का प्रयास करता है।

(iii) समझने के बाद उसका उसी तरह अभ्यास जारी रहता है। अध्यापक उसका उचित मार्गदर्शन करता रहता है।

दोष :

(i) विद्यार्थी को अक्षर निरर्थक व निर्जीव से लगते हैं, क्योंकि उसका न तो उन्हें प्रयोजन ज्ञात है, न ही कोई उत्सुकता लगती है।

(ii) विद्यार्थी का उन अक्षरों से कोई सम्बन्ध नहीं होता। वे रुचि लेकर उनको देखना भी नहीं चाहते।

(iii) यह विधि अवैज्ञानिक है, क्योंकि भाषा की इकाई वाक्य तथा शब्द हैं, अक्षर या वर्ण नहीं। परंतु इस विधि में भाषा शिक्षण का आधार हम वर्ण या अक्षर मानते हैं, इसलिए यह सर्वमान्य भी नहीं है।

(iv) एक–एक अक्षर को जोड़ कर शब्द को अटक–अटक कर पढ़ने का अभ्यास होने लगता है। जैसे क + म + ल = कमल। यह आदत वाचन की गति बढ़ाने में बाधक हो सकती है।

(v) इस विधि से अक्षर बोध कराने में पर्याप्त समय भी लगता है। अध्यापक और विद्यार्थी को अत्याधिक धैर्यपूर्वक चलना पड़ता है जो कि कठिन कार्य लगता है।

2. **ध्वनि साम्य विधि :** इस विधि से एक जैसी ध्वनियों वाले शब्दों को एक ही लय में बोला जाता है।

जैसे : मदन, वदन, सगन

नल, जल, मल

नाक, काम, राम आदि।

गुण :

(i) इसमें ध्वनियों का खूब अभ्यास हो जाता है। उनका उच्चारण स्थिर होने लगता है।

(ii) इन्हीं को लिखित रूप देना सरल हो जाता है। ध्वनियों की साम्यता के कारण मस्तिष्क में जल्दी छाप पड़ जाती है।

(iii) ध्वनियों की स्पष्टता जल्दी हो जाती है, जिससे पढ़ने में रुचि बनती है और यह रुचि ही पढ़ने व वाचन करने को प्रेरित करती है।

दोष :

(i) यह विधि अधिक स्वाभाविक नहीं लगती, क्योंकि कई बार एक शब्द को सिखाने के लिए एक जैसी ध्वनियों वाले शब्द मिलने मुश्किल हो जाते हैं।

(ii) नित्य प्रति प्रयोग में आने वाले शब्दों की जगह कई बार अव्यावहारिक शब्द लेने पड़ते हैं।

(iii) इस विधि में शब्दों, वाक्य खण्डों और वाक्यों के अर्थ पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, जितना उनकी ध्वनियों पर।

2.2.3 विश्लेषणात्मक प्रणाली :

इस प्रणाली में विद्यार्थी को भाषा ज्ञान के लिए वाक्यों और शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। वर्णों का ज्ञान बाद में होता है।

1. **देखो और कहो विधि :**

(i) बच्चों को बड़े अक्षरों के शब्द–चित्र दिखाए जाते हैं। ये शब्द या तो श्यामपट्ट पर लिखे जाते हैं, या कार्डों पर चित्रित होते हैं। बच्चे देखते हैं और कहते जाते हैं।

(ii) अध्यापक शब्द की ध्वनि बताता है और बार–बार बच्चों से अनुकरण करने के लिए कहता है बच्चे वहीं शब्द बोलते जाते हैं। कई बार देखने–सुनने से शब्द

का चित्र मस्तिष्क पर अंकित हो जाता है। अध्यापक चित्रण को ओर गहरे में अंकित करने के लिए उस वस्तु या वस्तु के चित्र को प्रस्तुत करता है। इस तरह शब्द की बार–बार आवृत्ति की जाती है।

(iii) शब्द में कोई अक्षर बदलने से नया शब्द बनाया जाता है, जैसे – जलज, सजल, राम, काम, धाम आदि। जलज लिखने में 'ज' के स्थान पर 'स' और फिर 'ल' आदिवर्णों को बदल कर धीरे–धीरे विद्यार्थी शब्द के साथ वर्ण की पहचान करना सीख जाता है।

इस तरह चित्र या वस्तु दिखा कर सम्बन्ध स्थापित कर देखने और उसी प्रकार बोलने के अभ्यास को 'देखो और करो विधि' कहा जाता है।

गुण :

(i) यह विधि मनोवैज्ञानिक है। वस्तु या चित्र को दिखाने और उसको शब्द के माध्यम से समझने में सार्थकता लगती है। इसमें बच्चे रुचि लेते हैं।

(ii) यह विधि शब्द–बोध से शुरू होकर अक्षर बोध की ओर चलती है। शब्द को समझने के लिए सामूहिक दृष्टि चाहिए।

(iii) इस विधि में विद्यार्थियों की रोचकता तथा उत्सुकता बनी रहती है, क्योंकि शब्द को सीखने में जब वर्ण बदल कर दूसरा शब्द बनता है, तो बच्चे इस क्रिया के लिए उत्साहित रहते हैं। जैसे – राम के लिए 'र' वर्ण आने से वही शब्द 'काम' बना कर उन्हें खुशी मिलती है, जिससे सीखने में प्रेरणा मिलती है।

दोष :

(i) इस विधि में यह दोष है कि हर शब्द के लिए वस्तु का प्रयोग करना मुश्किल है।

(ii) अमूर्त वस्तुओं के चित्र बनाए ही नहीं जा सकते। भावों को समझना कठिन कार्य है।

(iii) इसमें बच्चा अध्यापक के कहे अनुसार शब्दों को बोलता है। इस तरह अनुकरण करते–करते उसको शब्द रट जाता है। इससे रटने की प्रवृत्ति का जन्म होता है और बौद्धिक पक्ष की अवहेलना होती है।

(iv) शब्दों के बोध से वाचन कार्य शुरू नहीं होता, जब तक उसको सारी वर्णमाला का ज्ञान न हो जाए।

(v) हिन्दी के लिए प्रयुक्त होने वाली देवनागरी एक वैज्ञानिक लिपि है। अंग्रेज़ी वर्णमाला में कुछ दोषों के कारण यह विधि सामने आई, पर हिन्दी एक ध्वन्यात्मक भाषा है। इसकी वर्णमाला में जिस तरह का शब्द है उसी तरह ध्वनि भी प्रकट करते हैं। 'ch' का उच्चारण 'च' न होकर 'सी एच' है। इस कारण से अंग्रेज़ी में 'कमल' पढ़ने के लिए के॰ ए॰ एम॰ ए॰ एल॰ बुलवाना पड़ता है, पर

हिन्दी में कमल 'कमल' बुलवाना स्वाभाविक है। ध्वनि और अक्षर का सम्बन्ध होते हुए भी यह विधि अपनाना हिन्दी की वर्णमाला को अधूरा मानने के बराबर होगा, जबकि यह एक वैज्ञानिक विधि है।

2.2.4 हिन्दी शिक्षण के सिद्धान्त और सूत्र :-

भाषा अर्जित सम्पत्ति है। इसे सीखना मानव प्रवृति है। मनुष्य वार्तालाप की सहायता से दूसरों के विचार समझ लेता है और अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। शिक्षण एक कला है। इस कला का विकास सतत अभ्यास से सम्भव है। अभ्यास करते–करते स्वत– ऐसे सूत्रों का आभास होने लगता है जो शिक्षण कार्य में सहायक होते है। इन्ही प्राप्त अनुभवो को संक्षेप में करते समय सूत्र या सिद्धान्त की संज्ञा दी जाती है। भाषा शिक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले विद्वानों ने मनोवैज्ञानिक विधि अपनाकर भाषा शिक्षण के कुछ सूत्र सुझाए हैं, जो निम्नलिखित है :–

(1) पूर्वज्ञान की जाँच-

अध्यापन आरम्भ करने से पूर्व विद्यार्थी के पूर्वज्ञान का पता अध्यापक को होना चाहिए। ऐसा न होने से अध्यापक और बच्चों की दूरी बनी रहती है। शिक्षार्थी और शिक्षक के आपसी तालमेल से शिक्षण की गाड़ी शिक्षा के धरातल पर अबाध गति से चलती है।

(2) पूर्वज्ञान से सह सम्बन्ध-

विद्यार्थी के पूर्वज्ञान का पता लगने पर पाठ का आरम्भ उसी से सम्बन्धित करना चाहिए। इससे बच्चों को यह अनुभव होगा कि जो ज्ञान वे प्राप्त करेंगे उसका सम्बन्ध पिछले ज्ञान से है। वे आगे पढ़ाने वाले पाठों के विषय में उत्सुक रहेंगे जिससे आगे की मंजिल पाने में उन्हे सुविधा होगी।

(3) सुनियोजित पाठ योजना–

अध्यापक को कक्षा में जाने से पूर्व पाठ योजना बना लेना चाहिए। यदि अध्यापक अपने विषय को पढ़ाने के क्रम में स्पष्ट होगा तो बच्चे उस विषय स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर पायेगें।

(4) बाल केन्द्रित अध्यापन–

बाल केन्द्रित अध्यापन के लिए विद्यार्थी को अध्यापन में सहभागी बनाया जाना चाहिए। पाठ बच्चों के पूर्व अनुभव तथा उनके वातावरण और रूचि के अनुसार होना चाहिए। पढ़ते समय विद्यार्थी पाठ से तादातय स्थापित कर सके। उसे महसूस हो कि, पाठ उसके जीवन से सम्बन्धित है। तथा इस पाठ की सहायता से वह जीवन की आगामी जटिलताओं को सुलझा सकेगा। यदि पाठ कठिन है तो उसको इकाइयों में इस प्रकार विभाजित करे कि बच्चों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।

(5) बच्चों की प्रतिभागिता या सांझेदारी–

शिक्षण एक मार्ग पर चलने वाला यातायात नहीं है। विद्यार्थी इसके सहयात्री है। बच्चों से पाठ से सम्बन्धित पूर्व अनुभव पूछकर बीच–बीच में प्रश्न पूछकर या उनकी प्रतिकिया जानकर पाठ पढ़ाना चाहिए। इससे कक्षा में जागरूकता,चेतनता और अपनत्व की भावना बनी रहती है। साथ ही कक्षा में क्रियाशीलता बनी रहती है।

(6) प्रयोग या व्यवहार की व्यवस्था–

घर के सीखने की किया का जीवन में बहुत महत्त्व है। स्वयं किये हुए काम में हृदय, हाथ और मस्तिष्क का प्रयोग साथ साथ होता है। उच्चारण, लेखन, मौखिक, अभिव्यक्ति आदि ऐसे क्षेत्र है जिनमें प्रयोग या व्यवहार के अभ्यास की निरन्तरता आवश्यक होती है। अध्यापक बच्चों के लिए कक्षा में जितने अधिक प्रयोग और व्यवहार के अवसर जुटाएगा विद्यार्थी का भाषा पर उतना ही अधिकार बढ़ेगा।

(7) वैयक्तिक भिन्नता का सम्मान-

वैयक्तिक **भिन्नता**–प्रकृति की देन है। कोई बच्चा भावूक और सहृदय होता है तो कोई कम संवेदनशील। साहित्य के विभिन्न अंगो के शिक्षण का सभी पर अपनी–अपनी प्रकृति के अनुसार प्रभाव पड़ता है। ज्ञान की ग्रहणशील शक्ति सभी में समान नहीं है। अध्यापक को व्यक्तिगत भिन्नता को उदारता से स्वीकार करना चाहिए और सभी को सम्मान देना चाहिए। वैयक्तिक भिन्नता के पीछे प्रकृति प्रदत्त गुण है तो सामाजिक और आर्थिक असमानता भी है।

(8) भाषायी दृष्टिकोण-

अध्यापक को भाषा सिखाने के क्रम का ज्ञान होना चाहिए । जैसे–

(क) श्रवण का अभ्यास

(ख) बोलचाल की शिक्षा

(ग) वाचन की शिक्षा

(घ) लेखन की शिक्षा

(9) बहुकोणीय प्रयास-

भाषा शिक्षण केवल भाषा अध्यापक, भाषा की पाठ्य पुस्तक या मात्र कक्षा के क्रियाकलापो तक सीमित नही हैं। हमारा सारा जीवन ही भाषामय है। पाठ्यक्रम के अतिरिक्त पाठ्यक्रमेतर अथवा पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का भी आयोजन करना होगा। इनके अतिरिक्त वाचन, लेखन, भाषण, कविता, नाटक आदि प्रतियोगिताओं को उत्तरोत्तर प्रोत्साहन देकर भाषा के स्तर को उठाया जा सकता है। उच्चतर कक्षा में पुस्तकालय के अधिक प्रयोग की आदत डालनी चाहिए।

2.2.5 शिक्षण सूत्रों के सिद्धांत :– हरबर्ट स्पेन्सर ने शिक्षण विधियों पर विचार करते समय कुछ शिक्षण सूत्रों की भी चर्चा की है इन सूत्रों में से कुछ सूत्र भाषा शिक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह सूत्र वास्तव में सामान्य सिद्धांत ही है। भाषा शिक्षण के लिए निम्नलिखित सूत्र बहुत ही उपयोगी हैं:–

ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, आगमन से निगमन की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। भाषा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए इन सूत्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। भाषा एक व्यापक विषय है। इसकी अनेकों विद्याएँ हैं। प्रत्येक विद्या का अपना एक स्वतंत्र स्वरूप है। प्रत्येक विद्या बच्चे के ज्ञान कौशल तथा

भावों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है विभिन्न विद्याओं के शिक्षण से जहां ज्ञानान्मक कौशलों का विकास होता है वहीं नाटक, अभिनय, कवि दरबार, कवि सम्मेलन, कहानी प्रतियोगिता, वाद विवाद परिसंवाद आदि के द्वारा छात्रों की कौशलात्मक क्षमताओं में वृद्धि होती है। भाषा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भाषा शिक्षण के सिद्धांतों का शिक्षण में प्रयोग भी उपयोगी सिद्ध होगा। छात्रों की रूचियों वृत्तियों, प्रतिभाओं को प्रकाशित करने में उनकी मदद कर सकेगा।

1. ज्ञात से अज्ञात की ओर

ज्ञात से अज्ञात की ओर का अभिप्राय यह है कि विद्यार्थी को जो ज्ञान देना है वह उसके प्राप्त ज्ञान को आधार मानकर दिया जाना चाहिए। बालक को जो पढ़ाना है उसके लिए पूर्व ज्ञान का आधार लेना चाहिए। यहाँ अध्यापक को पहले बालकों का पूर्वाज्ञान जान लेना चाहिए और उसीपर अपने नए शिक्षण की शुरूआत करनी चाहिए। उठा चौथी कक्षा में जब विद्यार्थी को गाय के बारे में निबंध लिखने की समझ हो तो उससे भैंस तथा घोड़े के बारे में लिखवाया जा सकता है।

2. सरलता से जटिलता की ओर

बच्चे सीधे–सरल बातों को जल्द की जल्द समझ लेते हैं। इस कारण वह विद्यार्थियों को पहले सरल तथ्यों की जानकारी देनी चाहिए और तदंतर सरलता से जटिलता की ओर बढ़ना चाहिए। शनैःशनैः कठिनता की ओर बढ़ना शिक्षा का एक महान सूत्र है। सरल शब्दों का ज्ञान पहले और कठिन शब्दों का ज्ञान बाद में होना चाहिए। पाठय–पुस्तक में भी प्रथमतः सरल पाठ और क्रमश जटिल पाठों का आयोजन विषय सामग्री के अंतर्गत होना चाहिए। हिन्दी शिक्षा में इस सूत्र का अवश्य पालन किया जाना चाहिए।

3. मूर्त से अमूर्त की ओर

मूर्त वस्तु वह है, जिसे हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। अथवा इंद्रियां द्वारा उसकी अनुभूति की जा सकती है। ज्ञान का मूल आधार इंद्रियाँ ही हैं। जब नवीन ज्ञान देना है, तों हमें मूर्त को ही आधार मानना चाहिए ताकि बालकों को समझने में सरल हो। उदाहरण 'संज्ञा किसे कहते हैं?' यह विद्यार्थियों के लिये अमूर्त ज्ञान है। मगर वह वस्तुओं व्यक्तियों और स्थानों के नाम को जानता है। यह उसका मूर्त ज्ञान है। इसी मूर्त ज्ञान के आधार पर उसे अमूर्त ज्ञान अर्थात 'संज्ञा' की व्याख्या से परिचय कराया जा सकता है।

4. विशेष से सामान्य की ओर

इस सिद्धांत सूत्र का हिन्दी शिक्षा में उपयोग करते समय बच्चों को पहले विशिष्ट उदाहरण देने चाहिए और फिर उनकी सहायता से सामान्य सिद्धांत की ओर बढ़ना चाहिए। विशेष पदार्थ, तत्व, किया आदि को प्रस्तुत करके विद्यार्थियों को सामान्य की ओर ले जाना चाहिए। भाषा–शिक्षा में व्याकरण पढाते समय इस सूत्र का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण दीर्घ–सन्धि पढ़ाते वक्त विद्यार्थियों को स्वर मालूम रहते हैं।, वहाँ प्रत्यक्ष रूप में दिखाकर अ+अ= आ, क+अ=का, वर्ण के सामने सवर्ण स्वर आने से दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है, इस तरह सामान्य नियम बना सकते है।

5. पूर्ण से अंश की ओर

पूर्ण से अंश की ओर का अर्थ है कि जो भी पढ़ाना हैः वह पूर्ण रूप से विद्यार्थियों के सामने रखना चाहिए और बाद में उसके विभिन्न भार्गों की ओर बढ़ना चाहिए। बच्चों का ध्यान पहले पूर्ण वस्तु की तरफ आकृष्ट हो जाता है और बाद में उसके अंशों की आर। उदाहरण पहली कक्षा में अध्यापक पहले बच्चों को अक्षर–ज्ञान देने का प्रयत्न करते हैं। यह तरीका गलत है। बच्चों के लिए सरल वाक्य समझना आसान है। क्योंकि वह वाक्य को बोलता है और वाक्यों में सोचता है। इस सूत्र के अनुसार बच्चों को वाक्य से अक्षर की ओर ले जाना चाहिए। गैस्टाल्ट थेरी की प्रतीति यहाँ होती है।

6. अनुभव से तर्क की ओर

अनुभव से सीखा हुआ ज्ञान स्थायी रूप में स्थित रहता है। बच्चे अनुभव से बहुत सीखते हैं। इसलिए नया ज्ञान सीखते वक्त पूर्वानुभवों का आश्रय लेना चाहिए। अनुभव इन्द्रियों दुबारा प्राप्त होता है। अनुभव की अनुभूति करने के बाद अध्यापक को उसका विश्लेषण करना चाहिए। इसके बाद विचार तथा तर्क की ओर जाना चाहिए। इससे छात्रों में तर्क शक्ति का विकास होता है और इसका जो ज्ञान मिलता है वह स्थायी रूप में रहता है।

7. विश्लेषण से संश्लेषण की ओर

विश्लेषण का अर्थ होता है जो ज्ञान देना है, उसे ज्ञान की छोटी छोटी इकाइयों मे विभजित करना उसे विविध तत्वों मे बाँटना। फिर प्रत्येक तत्व तथ अंश का अलग–अलग विश्लेषण करने के बाद उसका संश्लेषण करना। इस पद्धति से बच्चों मे तर्क एवं विचार शक्ति का विकास हो जाता है और साथ ही साथ निष्कर्ष पर जाने की षमता का विकास हो जाता है।

8. आगमन से निगमन की ओर

आगमन विधि मे पहले बहुत से उदाहरणों की सहायता से नियम तैयार किए जाता हैं। जैसे विशेषण की परिभाषा बताने के लिए कई उदाहरण फलकपर (ब्लैक बोर्ड) लिखे जाते है और विद्यार्थी उनके माध्यम से व्यख्या बनाते हैं। निगमन विधि मे पहले व्याख्या दी जाती है और बाद में उदाहरण। हिन्दी शिक्षा के लिए प्रारंभ मे आगमन और बाद मे उदाहरण अतः प्रारम्भ मे आगमन विधि अधिक उपयुक्त है, और यह विधि वैज्ञानिक है। इसी कारण वश हिन्दी शिक्षा प्रणाली में आगमन विधि अधिक उयुक्त है। हिन्दी व्याकरण पढ़ाते वक्त इस सूत्र को अपनाया जाता है।

9. प्रयोग से सिद्धान्त की ओर

भाषा–शिक्षा का यह सूत्र है कि – प्रथमतः प्रयोग प्रत्यक्ष रूप में करने चाहिए और सिद्धान्त याने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। आरंभिक कक्षाओं में सही भाषा उच्चारण का प्रयोग होना चाहिए इसके उपरान्त भाषण मे कुशलता ला देनी चाहए।

10. मनोवैज्ञानिकता के अनुकूल

हिन्दी शिक्षण में बालकों की मनोवैज्ञानिक प्रवृतियों काजाँच कर आगे बढ़ना चाहिए। इससे बालकों की रूचि, प्रवृत्ति, क्षमता, वैयक्तिक विभिन्नता की ओर ध्यान रखकर शिक्षा कार्य आगे बढ़ाना चाहिए।

इससे बालकों मे होश्यिारी बढ़ जाती है। इस पद्धति को अगर नहीं अपनाते तो शिक्षण प्रभावपूर्ण नहीं हो सकता।

2.2.6 भाषा शिक्षा के मुख्य तत्व

(Cordial Principles of Language Teaching)

भाषा–शिक्षा के मुख्य तत्व निम्न प्रकार है :

भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भाषा का पाठ्यक्रम निर्धारण बच्चों की मानसिक योग्यता को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। छात्रों में सभी योग्यताओं का विकास ही भाषा के शिक्षण के उद्देश्यों का लक्ष्य है। प्रस्तुत सिद्धांतों का आधार मनोवैज्ञानिक होता है।

2.2.7 अभ्यास के लिए प्रश्न

प्रश्न 1 : भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष प्रणाली से आप क्या समझते हैं?

प्रश्न 2 : भाषा शिक्षण के संरचनात्मक उपागम का विस्तार सहित वर्णन कीजिए।

प्रश्न 3 :हिन्दी शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। स्कूलों में हिन्दी की वर्तमान स्थिति में उन उद्देश्यों की पूर्ती कहाँ तक होती है?

प्रश्न 4 : मातृभाषा पर छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास निर्भर है। इस कथन की विवेचना कीजिए।।

प्रश्न 5 : शिक्षण सूत्रों के सिद्धांत से क्या अभिप्राय है। मातृभाषा हिन्दी में किन किन सिद्धांतों का प्रयोग उपयोगी है विवचेना करें।

2.2.8 लघु उत्तर प्रश्न

1. ज्ञानात्मक उद्देश्यों की व्याख्या करें।
2. उद्देश्य और सिद्धांत का अंतर स्पष्ट करें।
3. बोलचाल के सिद्धांत का क्या महत्व है? स्पष्ट करें।
4. भाषा शिक्षण में स्वाभाविक्तता के सिद्धांत का स्थान निर्धारित कीजिए।
5. भाषा के तत्वों पर टिप्पणी कीजिए।
6. भाषा ग्रहण के माध्यमों की चर्चा करें।

2.2.9 सहायक पुस्तकें :

1. हिन्दी शिक्षण – डा. जय नारायण कौशिक हरियाणा साहित्य अकादमी, चण्डीगढ़।
2. हिन्दी भाषा शिक्षण – भाई योगेन्द्रजीत, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
3. आधुनिक हिन्दी शिक्षण – डा. जसबन्त सिंह जस न्यू बुक कम्पनी, भाई हीरा गेट, जालन्धर।

4. हिन्दी शिक्षण – केशव प्रसाद धनपत राय एण्ड सन्स, नई सड़क, दिल्ली।
5. भारतीय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट (1964–66)
6. Intensive Teacher Education Programme (NCERT)
7. हिन्दी भाषा का इतिहास – धीरेन्द्र शर्मा
8. हिन्दी शिक्षण – सावित्री सिंह
9. हिन्दी शिक्षण – डा. रघुनाथ सफाया
10. माध्यमिक स्कूलों में हिन्दी शिक्षण – डा. निरंजन कुमार सिंह
11. मातृभाषा शिक्षण – भूदेव शास्त्री

पाठ नं॰ 2.3 **मधु नरुला**

भाषा-शिक्षण के सामान्य सिद्धान्त : प्रस्तावना

2.3.0 उद्देश्य
2.3.1 भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धान्त : प्रस्तावना
2.3.2 औपचारिक रूप से भाषा सीखने के कारण
2.3.3 भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धान्त
2.3.4 अभ्यास के लिए प्रश्न
2.3.5 सहायक पुस्तकें

2.3.0 उद्देश्य : इस अध्याय को पढ़ने के उपरांत विद्यार्थी को

(i) भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान होगा।

(ii) औपचारिक रूप से भाषा सीखने के कारणों की समझ प्राप्त होगी।

2.3.1 भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धान्त : प्रस्तावना

मनुष्य जिस शक्ति से उन्नति के मार्ग पर पहुँचा है, वह भाषा की शक्ति से ही हुआ है। भाषा विहीन व्यक्ति बुद्धि विहीन ही नहीं होते, बल्कि भावहीन भी हो जाते हैं। भाषा हमारी आत्मा के गठन एवं चारित्रिक विकास में भी अहम भूमिका निभाती है। बालक भाषा के शुद्ध या अशुद्ध रूप का प्रयोग अपने परिवेश में रहने वाले व्यक्तियों का अनुकरण करके सीखता है और इसे भाषा का अर्जन कहा जाता है। मातृभाषा सीख लेने के पश्चात् कोई दूसरी भाषा सीखना भाषा–अधिगम कहलाता है।

भाषा अन्तः स्फूर्णात्मक :

जब नवजात जन्मे बच्चे को उसकी माँ दूध पिलाती है तो वह बिना किसी प्रशिक्षण के दूध पीना शुरु कर देता है। यह एक अन्तः स्फूर्णात्मक क्रिया है। यह ज्ञान उसके शारीरिक कोषों में पहले से ही विद्यमान होता है। जीवन की कुछ क्रियाएँ अन्तः चेतना द्वारा ही होती हैं। भाषा सीखना भी हमारी ऐसी ही एक स्वाभाविक स्वतः स्फूर्त शक्ति है।

2.3.2 औपचारिक रूप से भाषा सीखने के कारण

इतना सब कुछ होने पर भी भाषायी कौशल या भाषा में पारंगत होने के लिए विद्यार्थी को भाषा सीखने के लिए किसी विधिवत् ढंग को ही अपनाया जाता है। क्योंकि –

1. घर, परिवार, परिवेश व समाज से सीखी गई भाषा अनौपचारिक शिक्षण कहलाता है, जो कि अपर्याप्त है। इसका मुख्य कारण यह है कि यह शिक्षण केवल भाषा के

मौखिक ज्ञान तक ही सीमित होता है। आज के युग में भाषा का केवल मौखिक ज्ञान जीवन–यापन में कारगर नहीं है।

2. औपचारिक भाषा शिक्षण से भाषा के अन्य कौशल जैसे प्रभावपूर्ण लेखन, उचित ढंग से समझना, प्रभावशाली ढंग से बोलना इत्यादि भी आ जाते हैं। जीवन के हर रास्ते पर चलना एवं लक्ष्य को पाना सुलभ हो जाता है।

3. मात्र अनौपचारिक भाषायी ज्ञान से अन्य विषयों तथा कलाओं का ज्ञान प्राप्त करना भी संभव नहीं होता। पुस्तकों में ज्ञान का भण्डार सुरक्षित है, परन्तु उसे समझा कैसे जाए ? जिसे भाषा का समुचित ज्ञान प्राप्त नहीं, वह आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित ढंग से इनकी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकेगा।

4. औपचारिक रूप से भाषा–शिक्षण के बिना व्यक्ति अशिक्षित भी कहलाता है। वैसे भी आज का युग भौतिकतावादी है, जिसमें मनुष्य को सिर्फ जीवन चलाना ही नहीं, अपितु उसे सभी समृद्धियों और सम्पन्नताओं से भरपूर करना होता है। अतः भाषा सिखाना अति आवश्यक है, परन्तु जब भाषा–शिक्षण कुछ सिद्धांतों के साथ किया जाए तो वह भाषा को उपयोगी एवं और भी प्रभावपूर्ण बना सकता है।

2.3.3 भाषा-शिक्षण के सामान्य सिद्धांत

1. **स्वाभाविक विधि का प्रयोग :** भाषा–शिक्षण की स्वाभाविक विधि है – श्रवण, अनुकरण, ग्रहण, लेखन को क्रम से सीखना। भाषा–शिक्षण की प्रक्रिया में पहले सुनना, समझना, पढ़ना तथा फिर लिखना आता है। सुनने और समझने के अंर्तगत उच्चारण करना और बोलना एवं पढ़ने तथा लिखने के अंर्तगत अक्षरों की पहचान और ध्वनि को समझना शामिल है।

अतः प्रारम्भिक कक्षाओं में अध्यापक शुद्ध उच्चारण करे और बालक उसे ध्यानपूर्वक सुनें। ऐसा करने पर बड़ा होने पर बच्चे कम अशुद्धियाँ करते हैं। इसी प्रकार पढ़ने पर भी अशुद्धियाँ न होंगी, तो बालक उसी तरह अनुसरण करेगा। अतः अध्यापकों को इस दिशा में बड़ी सचेतता से काम करना होता है।

2. **अभ्यास की आवश्यकता :** पहले भी कहा जा चुका है कि भाषा कला के समान है, जिसमें सतत् अभ्यास की आवश्यकता है। तैराकी में प्रवीणता तभी आती है जब स्वयं तैरने का अभ्यास किया जाए। तैराकी की पुस्तक में इसके सिद्धांत पढ़ने से नहीं सीखी जा सकती। इसी तरह भाषा को सीखने के लिए भी अभ्यास की आवश्यकता होती है। शिक्षार्थी के अभ्यास के साथ–साथ शिक्षक के संपूर्ण सहयोग की भी आवश्यकता होती है। उसे भाषा सिखाने के लिए प्रति दिन उच्चारण ठीक करवाने की आवश्यकता होगी। दूसरी ओर शिक्षार्थी भी अभ्यास कार्य की अवेहलना नहीं कर सकता। क्या वह शिक्षक के सामने मुँह बंद करके बैठा रह सकता है ? इस तरह से दोनों को ही धैर्य और परिश्रम की आवश्यकता

पड़ेगी। भाषा में सिर्फ उच्चारण ही नहीं और भी बहुत से उपविषय जैसे व्याकरण, रचना, बोलचाल कार्य, शब्दावली पठन, कविता, गद्य तथ नाटक आदि होते हैं। सभी विधाओं को समझने की कोशिश के लिए काम करने की तत्परता तथा सीखने के लिए सहनशीलता का होना आवश्यक है।

3. **बोलचाल का सिद्धांत :** यहाँ बोलचाल से अभिप्राय है कि भाषा सीखाने के लिए कक्षा में शिक्षक का कार्य विद्यार्थी के अधिक अर्थपूर्ण, बोलने की क्रिया से है। बोलने के लिए एकाग्रता से सुनना आवश्यक है क्योंकि भाषा का आरम्भ ही कान और ज़ुबान से हुआ है। लिपि तो बाद में आई। धीरे–धीरे कान से सुने गए शब्द मस्तिष्क में छप कर ज्यों के त्यों ज़ुबान पर आने शुरु हो जाते हैं। इसी तरह जब बालक को भाषा सिखाई जाए तो उसके लिए आवश्यक अंग सुनने और बोलने पर ध्यान देना आवश्यक होगा।

बोलचाल के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए अध्यापक को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए –

(i) कक्षा में क्रियाशीलता बना कर रखनी चाहिए।
(ii) कठिन शब्दों के अर्थ पूछने चाहिएँ, यदि छात्रों को पता न हों तो अध्यापक स्वयं बताएँ।
(iii) प्रयोगात्मक व्याकरण की जाँच करें।
(iv) कविता कंठस्थ करवाएँ।
(v) वार्त्तालाप को बढ़ावा दें।
(vi) रचनात्मक कार्य समन्वय विधि से करवायें।
(vii) मौखिक परिक्षाएँ भी ली जा सकती हैं।

बोलचाल के लाभ :

(i) इस माध्यम से भाषा शीघ्रता से सीख ली जाती है। समय व शक्ति का भी कम व्यय होता है। मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के सामान्य व साहित्यिक दोनों ही रूप सीखे जा सकते हैं।

(ii) बोलचाल में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उनकी ध्यानकेन्द्रिता भंग नहीं होती। उन्हें यह रहता है कि अध्यापक न जाने कब कहाँ से कोई प्रश्न पूछ ले। अतः वह पूछे जाने पर सही उत्तर दे पाएँ, इसलिए सचेत रहते हैं।

(iii) बोलचाल से रोचकता बनी रहती है। छात्र उत्सुक रहते हैं और पाठ के विकास में उनकी सक्रिय भूमिका रहती है। विद्यार्थी बोलचाल में जितने सक्रिय होंगे, पाठ भी उतना ही अधिक सफल होगा।

(iv) बोलचाल से बच्चे अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी करते हैं। वह कई महत्वपूर्ण समस्याओं पर सुझाव देते हैं।

(v) बोलचाल से ज्ञान को स्थायीत्व मिलता है। ज्ञान मन–मस्तिष्क में छप जाता है।

(vi) बोलचाल आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी है। धीरे–धीरे इस पर अभ्यासरत होता हुआ बच्चा परिपक्वता ग्रहण करता है।

4. **क्रियाशीलता का सिद्धांत :** जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि भाषा एक कला है, जो कि क्रियाशीलता द्वारा सीखी जाती है। अभ्यास इसे और भी प्रखर बना देता है। इसे मात्र सैद्धांतिक पक्ष को जान लेने भर से ही नहीं सीखा जा सकता। उदाहरणस्वरूप यदि कोई छात्र अशुद्ध उच्चारण करता है, तो अध्यापक उसे न सिर्फ केवल शुद्ध उच्चारण ही कर के दिखाएगा, अपितु अपने सामने उसे शब्द को शुद्ध रूप में लिखने तथा बार–बार उच्चारण करने के लिए भी कहेगा, जब तक कि बालक अनुकरण द्वारा शुद्ध उच्चारण नहीं सीख जाता। अर्थात् अध्यापक का कार्य की इतिश्री केवल शुद्ध उच्चारण बता देने भर से ही नहीं हो जाती, बल्कि उससे उसका अभ्यास करवाना भी अपेक्षित होता है।

5. **क्रम एवं अनुपात का सिद्धांत :** भाषा सीखने के लिए इसके स्वाभाविक क्रम को ही आधार बनाया जाना चाहिए। इस सिद्धांत की रचना भाषा–शिक्षण के उद्देश्यों को ही सामने रख कर की गई है। यह क्रम निम्न प्रकार से है –

(i) दूसरों के द्वारा कही गई बात को समझना। (सुनना एवं अर्थ ग्रहण करना)

(ii) स्वयं अपनी बात दूसरों से कहना। (बोल कर विचार व्यक्त करना तथा विचारों का भली प्रकार से संप्रेषण करना)

(iii) भाषा के लिखित रूप का वाचन तथा उसे आत्मसात कर सकना। (वाचन/पढ़ना)

(iv) लिखित रूप में अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। (लेखन)

अध्यापक किस बात का अत्यधिक ध्यान रखें :

प्रथम – अध्यापक स्वयं बोले जिससे कि विद्यार्थी उसे समझने लगे।
द्वितीय – विद्यार्थी स्वयं भी अनुकरण करते हुए बोलने का अभ्यास करे।
तृतीय – पुस्तक वाचन तथा आवश्यक व्याकरण आदि का ज्ञान करवाया जाए।
चतुर्थ – रचना आदि के द्वारा शुद्ध अभिव्यक्ति की तैयारी।

6. **रोचकता का सिद्धांत :** यह सिद्धांत भी मनोविज्ञान के सिद्धांत पर ही आधारित है, क्योंकि विद्यार्थी किसी भी ज्ञानोपार्जन में तब तक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता; जब तक उसके मन में विषय के प्रति स्वाभाविक रुचि न हो। रुचि के साथ किया गया कार्य न केवल सफल होता है, अपितु उसे करने में हमें किसी प्रकार की कठिनाई का भी अनुभव नहीं होता। इस संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं –

(i) पाठ को रुचिकर बनाने के लिए उचित वातावरण की आवश्यकता होती है। पाठ आरम्भ करने से पहले पूर्व ज्ञान सम्बन्धी प्रश्न पूछना विद्याार्थियों को पाठ सुनने के लिए प्रेरित करता है। विद्यार्थी पिछली घण्टियों में न जाने कितने विषय पढ़ चुके होते हैं।

(ii) यथा स्थान दृश्य–श्रव्य सामग्री का प्रयोग भी करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार विद्यार्थी पाठ को अधिक ध्यान से सुनते हैं।

(iii) पाठ विकसित करने के लिए प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करना चाहिए। इससे विद्यार्थियों की एकाग्रता बनी रहती है।

(iv) पाठ में समवाय विधि का भी प्रयोग करना चाहिए। इससे पाठ का संबंध छात्रों के जीवन, वातावरण, परिचित वस्तुओं एवं घटनाओं से उपस्थित करने पर वह रुचि लेंगे।

(v) नीरस पाठों को उचित प्रसंगो से सरस बनाया जा सकता है।

(vi) पाठ को मनोवैज्ञानिक विधि से करवाया जाना चाहिए। उनकी मनः स्थिति को समझ कर करवाया गया पाठ अध्यापक के समय को नष्ट नहीं करता। विद्यार्थी भी पाठ को जल्दी से ग्रहण कर लेते हैं।

(vii) व्याकरण जैसे जटिल पाठों को समझाने के लिए पाठ को सदैव उदाहरण से ही शुरु करना चाहिए। साथ ही साथ प्रयोगात्मक व्याकरण पर भी अधिक बल दिया जाना चाहिए।

(viii) सह–शैक्षिक क्रियाओं का आयोजन जैसे कि भाषण, वाद–विवाद, कविता पाठ, समारोह आदि से विद्यार्थी भी सक्रिय रहते हैं तथा उनमें उत्साह भी बना रहता है।

(ix) अच्छा पढ़ने वालों को उत्साहित करना चाहिए। जिसके लिए उनकी प्रशंसा तथा पारितोषिक का सहारा लिया जा सकता है। परीक्षाओं में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को मासिक परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र दे सकते हैं।

(x) विद्यार्थियों से अध्यापक का व्यवहार मैत्रीपूर्ण हो। यह न हो कि छात्र अध्यापक से हमेशा डरते ही रहें।

7. **वैयक्तिक विभिन्नता :** कक्षा में सभी विद्यार्थी समान स्तर के नहीं होते। उनकी असमानता में कई पहलू जैसे बुद्धिमत्ता, क्षेत्र का प्रभाव, परिवार का प्रभाव शामिल होते हैं। यह सभी कारक उनके द्वारा किए गए कार्यों के परिणामों को प्रभावित करते हैं। उसी तरह विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार की असमानताएँ भी होती हैं। किसी को उच्चारण की समस्या होती है तो कुछ लिखने में आलस्य करते हैं। कुछ की लिखाई में मन्दता होती है, कोई केवल उच्च स्वर में ही पढ़ता है, मौन वाचन नहीं करता, तो किसी का रचना कार्य दुर्बल होता है। इस प्रकार बहुत सी भाषा संबंधी कठिनाइयाँ हो सकती हैं। अतः अध्यापक को प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देना।

8. **बहुमुखी प्रयास :** भाषा–शिक्षण में बहुत–से पहलू होते हैं, जिनमें कौशल, ज्ञान, शुद्ध वर्तनी, रचनात्मक कार्य, शब्दावली इत्यादि पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, अर्थात् पाठ पढ़ाते समय भाषा के प्रत्येक अंग को विकसित करने की आवश्यकता होती है। जब शिक्षक इसके लिए प्रयास करता है तो भाषा शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रयास इस प्रकार से हैं –

(i) वाचन पर ध्यान देने की आवश्यकता।

(ii) शब्दावली में अभिवृद्धि करना।

(iii) प्रयोगात्मक व्याकरण पर बल देना।

(iv) विद्यार्थी के शुद्ध रूप से बोलने तथा लिखना सिखाना।

(v) मौखिक अभिव्यक्ति पर ध्यान।

9. **तकनीकी विधि :** आज शिक्षा क्षेत्र में तकनीकी विधि भी विकसित हो चुकी है। यह भी मनोवैज्ञानिक उपचारी शिक्षण विधि है। इसमें टेपरिर्काडर, वीडियो टेप, ग्रामोफोन तथा कंप्यूटर, सी.डी. प्लेयर आदि का प्रयोग किया जाता है। कई बार शिक्षक के डर से, संकोचवश या हीन भावना से ग्रसित बच्चे शुद्ध नहीं बोल पाते। वह अपनी कठिनाइयों का समाधान करने के लिए शिक्षक की सहायता लेने से भी झिझकते हैं। टेपरिकॉर्डर से विद्यार्थी के उच्चारण को टेप करके और उन्हें सुनवाकर छात्रों को उनकी अशुद्धियों की जानकारी दी जाती है। अशुद्ध उच्चारण के कारण व्यक्तिगत विकास भी नहीं हो पाता है, अतः इनका मनोवैज्ञानिक ढंग से निराकरण भी संभव है।

2.3.4 अभ्यास के लिए प्रश्न

(i) औपचारिक रूप से भाषा का शिक्षण क्यों आवश्यक है?

(ii) भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धान्तों का विस्तार सहित वर्णन करें।

2.3.5 सहायक पुस्तकें

1. हिन्दी शिक्षण – डा. जय नारायण कौशिक हरियाणा साहित्य अकादमी, चण्डीगढ़।
2. हिन्दी भाषा शिक्षण – भाई योगेन्द्रजीत, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
3. आधुनिक हिन्दी शिक्षण – डा. जसबन्त सिंह जस न्यू बुक कम्पनी, भाई हीरा गेट, जालन्धर।
4. हिन्दी शिक्षण – केशव प्रसाद धनपत राय एण्ड सन्स, नई सड़क, दिल्ली।

पाठ नं• 2.4 **मधु नरुला**

हिन्दी भाषा के विविध रूप - मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा व अर्न्तराष्ट्रीय भाषा

2.4.0 उद्देश्य
2.4.1 प्रस्तावना
2.4.2 मातृभाषा के रूप में हिन्दी
2.4.3 प्रादेशिक भाषा के रूप में हिन्दी
2.4.4 राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी
2.4.5 शिक्षा माध्यम के रूप में हिन्दी
2.4.6 हिन्दी भाषा के उद्देश्य–मातृभाषा के रूप में
2.4.7 राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी शिक्षण के उद्देश्य
2.4.8 अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिन्दी शिक्षण के उद्देश्य
2.4.9 निष्कर्ष
2.4.10 अभ्यास के लिए प्रश्न
2.4.11 सहायक पुस्तकें

2.4.0 उद्देश्य : इस अध्याय को पढ़ने के उपरांत विद्यार्थी

(i) विभिन्न संदर्भों में हिन्दी भाषा का रूप के बारे में बता पाएंगे।

(अ) मातृभाषा (आ) प्रादेशिक भाषा (इ) राष्ट्रभाषा

(ii) हिन्दी शिक्षण के उद्देश्य के बारे में जान पाएंगे।

(अ) राष्ट्रभाषा के रूप में (आ) अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में

2.4.1 प्रस्तावना :

वैदिक संस्कृत से उपजी 'हिन्दी' कई मोड़ों से गुज़रती हुई और प्रादेशिक भाषाओं से सम्बद्ध होती हुई आज कई रूपों में प्रयुक्त हो रही है। केवल भारत में ही नहीं दूसरे देशों में भी इसका प्रचार एवं प्रसार बढ़ रहा है। भारत में हिन्दी मुख्यतः निम्न रूपों में प्रयुक्त हो रही है :–

1 मातृभाषा के रूप में हिन्दी।

2 प्रादेशिक भाषा के रूप में हिन्दी।
3 राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी।
4 शिक्षा माध्यम के रूप में हिन्दी।

2.4.2 मातृभाषा के रूप में हिन्दी

मातृभाषा के रूप में हिन्दी के महत्त्व की चर्चा करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि मातृभाषा क्या होती है। जो भाषा बच्चे को माँ से विरासत में मिलती है, वह उसकी 'मातृभाषा' होती है। इसी भाषा में माँ बच्चे को लोरियाँ सुनाती है। व्यक्ति के जीवन में मातृभाषा का स्थान सर्वोपरि है। इस भाषा का सम्यक ज्ञान उसके लिए अनिवार्य है। बालक मातृभाषा अपने माता–पिता से सुनकर अनायास अनुकरण की स्वाभाविक प्रकृति द्वारा सीख लेता है। यह क्षेत्र–विशेष में समाज–स्वीकृत परिनिष्ठित भाषा लेता है।

मातृभाषा बोली का ही परिष्कृत और साहित्यिक रूप होती है शिक्षित घरों में तो शुद्ध भाषा का ही व्यवहार होता है, पर गाँवों में यह अंतर पाया जाता है। भाषा शिक्षण की दृष्टि से यही परिनिष्ठित भाषा यथोचित शिष्ट भाषा है।

भारत एक बहुभाषी देश है। मातृभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होने वाली भाषाएँ भी अनेक हैं, जो अपने–अपने क्षेत्रों में शिक्षा का माध्यम है। परंतु विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में अभी तक विवाद ही चल रहा है और अंग्रेज़ी का स्थान अभी भी पूर्ववत् बना हुआ है। यह स्वीकृत है कि व्यक्ति के स्वतंत्र और स्वाभाविक व्यक्तित्व का विकास मातृभाषा से सम्भव है। अतः उच्च शिक्षा का माध्यम भी मातृभाषा ही होनी चाहिए। जब तक मातृभाषा उच्च शिक्षा का माध्यम नहीं बन पाती, तब तक ज्ञान–विज्ञान ही नहीं अपितु विकास सम्बन्धी सभी दृष्टियों से हम परमुखापेक्षी बने रहेंगे। (अधिक विस्तार के लिए देखिए पाठ–शिक्षा का माध्यम)।

2.4.3 प्रादेशिक भाषा के रूप में हिन्दी

किसी प्रदेश की भाषा उस प्रदेश के जनमानस में बोली व लिखी जाने वाली भाषा प्रदेश की भाषा कहलाती। प्रादेशिक भाषा वह भाषा है जिसे संवैधानिक रूप से चुन लिया जाता है, जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती। कई स्थानों या प्रांतों में हिन्दी मातृ–भाषा न लेकर प्रादेशिक भाषा पंजाब में पंजाबी और हिन्दी दोनों भाषाएँ प्रयुक्त होती हैं। परंतु बोलने वालों के लिए पंजाबी भाषा अधिक सुगम है। इसी प्रकार राजस्थान में हिन्दी ही प्रादेशिक भाषा है। बिहार की प्रादेशिक भाषा वैसे तो बिहारी है, परंतु वहाँ भी हिन्दी अनिवार्य विषय है। उदाहरणस्वरूप यदि निम्न स्तर की शिक्षा पंजाब में माध्यम के रूप में प्रादेशिक भाषा में अनिवार्य घोषित कर दी जाए तो वह पंजाबी ही लेगा अन्य भाषा में नहीं।

2.4.4 राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी

शिक्षा की दृष्टि से मातृभाषा के बाद राष्ट्रभाषा अथवा वैधानिक रूप से राजभाषा का स्थान आता है। प्रत्येक बालक को अपनी मातृभाषा जानने के बाद एक ऐसी राष्ट्रभाषा का ज्ञान

अवश्य होना चाहिए जिसके माध्यम से वह अपने देश के अन्य भाषा–भाषियों के साथ सम्पर्क स्थापित कर सके। भारत के जिन प्रदेशों में हिन्दी मातृ–भाषा नहीं है, वहाँ पर हिन्दी राष्ट्रभाषा होने के नाते द्वितीय भाषा (इतरभाषा) के रूप में पढ़ाई जाती है। समस्त भारत की राजकीय भाषा या राष्ट्रभाषा घोषित हो चुकी है। भारतीय गणराज्य के प्रशासन कार्य में यह भाषा केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकार के बीच संचारण में प्रयुक्त होगी, साहित्य, भाषा, जनसंख्या आदि कितने ही दृष्टिकोण से हिन्दी इस गौरवान्वित पद की अधिकारिणी है।

राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय गौरव और सम्मान का प्रतीक है। राष्ट्रभाषा का अभाव राष्ट्र को हीन बना देता है और वहाँ के निवासियों में भी हीनता की स्थिति अर्थात् प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। जनतांत्रिक समाजवादी सामाजिक रचना की दृष्टि से क्षेत्रीय जनभाषाओं को अपने–अपने क्षेत्रों में सम्मानपूर्ण स्थान मिलना चाहिए और अखिल भारतीय स्तर पर एक ऐसी राष्ट्रभाषा का प्रचलन होना चाहिए जिसके माध्यम से हमारे समस्त राष्ट्रीय कार्य और अन्तर्राष्ट्रीय कार्य सम्पन्न हो सकें। इसलिए राष्ट्रभाषा की शिक्षा मातृभाषा की शिक्षा के बाद (हिन्दी और अहिन्दी प्रदेशों में) सर्वोपरि मानी जाए। (विस्तार के लिए देखिए पाठ–शिक्षा का माध्यम)।

2.4.5 शिक्षा माध्यम के रूप में हिन्दी

मातृभाषा अथवा प्रादेशिक भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना कई दृष्टिकोणों से उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण है। इसके द्वारा व्यक्ति का मानसिक, बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक रूप से विकास होता है। परंतु विभिन्न प्रदेशों के लोगों को एकता के सूत्र में बाँधने, उनमें सम्पर्क स्थापित करने के लिए एक सर्वमान्य भाषा का होना अति आवश्यक है। यह कार्य भारत में केवल हिन्दी के द्वारा ही संभव हो सकता है। हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य कर सकती है। इसलिए शिक्षा के माध्यम के रूप में भी हिन्दी विशेष महत्त्व रखती है। (विस्तार के लिए देखिए पाठ–शिक्षा का माध्यम)।

इस प्रकार विभिन्न रूपों में हिन्दी का विशेष महत्त्व है। राजभाषा की गौरव प्राप्त यह भाषा वास्तविक अर्थों में इस गौरव की अधिकारिणी है।

2.4.6 हिन्दी भाषा के उद्देश्य-मातृभाषा के रूप में

मातृभाषा से अभिप्राय एवं परिभाषाएं

मातृभाषा क्या है ? (What is Mother Tongue ?) : मातृभाषा का अर्थ है, वह भाषा जो बालक की माँ की भाषा है। बालक इस भाषा को अपनी माँ से तथा अपने आसपास के वातावरण से स्वाभाविक रूप से धीरे–धीरे सीखता है, परंतु यह अर्थ उचित नहीं है क्योंकि वातावरण के संपर्क तथा माँ से सीखी भाषा घर की बोली होती है। वह समाज द्वारा स्वीकृत मानक भाषा नहीं होती। कई परिवारों में शुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं होता। उसके लिए विद्यालय आने पर वह शुद्ध रूप सीखता है। वहीं मानक भाषा मातृभाषा कहने के योग्य होती है।

परिभाषाएं

कलराज *के अनुसार,* "मातृभाषा मनुष्य के हृदय की धड़कन है।"

डब्ल्यू. एम. रायबर्न *के अनुसार,* "मातृभाषा एक उपकरण है, आनन्द, प्रसन्नता और ज्ञान का एक स्रोत है : रूचियों एवं अनुभूतियों का एक निर्देशक है और विधाता द्वारा मनुष्य को दी हुई उस सर्वोत्तम शक्ति के प्रयोग का साधन है जिसके द्वारा हम उस भगवान के निकटतम पहुँच सकते हैं।"

पं. सीताराम चतुर्वेदी *के विचार,* "भाषा शिक्षा का उद्देश्य यह है कि हम दूसरों की कही और लिखी हुई बातें ठीक–ठीक समझ और पढ़ सकें तथा शुद्ध प्रभावोत्पादक एवं रमणीय ढंग से बोल और लिख सकें। अतः भाषा वह शक्ति है जिसके आधार पर हम विचारों का आदान–प्रदान तथा साहित्य का सृजन करते हैं।"

मातृभाषा के रूप में हिन्दी-शिक्षण के उद्देश्य

मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्यों को निम्नलिखित अनुसार बाँटा जा सकता है –

1. ज्ञानमूलक उद्देश्य
2. कौशलात्मक उद्देश्य
3. सौंदर्यबोध मूलक उद्देश्य
4. अभिवृत्ति मूलक उद्देश्य
5. सृजनात्मक उद्देश्य
6. मनोविनोद मूलक उद्देश्य

1. ज्ञानमूलक उद्देश्य में निम्नलिखित ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है –
   - (i) विद्यार्थियों को विभिन्न शब्द–भेद, शब्द–उच्चारण, ध्वनियों का ज्ञान प्रदान करना।
   - (ii) विद्यार्थियों को वाक्य विन्यास, वाक्य–रचना, वर्तनी, काव्य–रचना का ज्ञान प्रदान करना।
   - (iii) भाषा से ही विद्यार्थियों को जीवन के मुख्य पहलुओं सांस्कृतिक, पौराणिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, वातावरण से सम्बन्धित जानकारी देना।
   - (iv) साहित्य के विभिन्न रूप जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, कविता आदि का ज्ञान प्रदान करना।
   - (v) विद्यार्थियों को रचनात्मक कार्य के लिए प्रेरित करना, ताकि वे लेखन–कार्य को आसानी से करने के योग्य हो सकें।

2. **कौशलात्मक उद्देश्यः** भाषा को यदि कौशल की दृष्टि से आंका जाए तो कौशल दो प्रकार का है – 1. ग्रहण और 2. अभिव्यक्ति।

   1. **ग्रहण कौशलः** ग्रहण करने की शक्ति दो प्रकार से होती है :–

सुन कर समझने की योग्यता प्राप्त करना।
पढ़ कर समझने की योग्यता प्राप्त करना।

2. **अभिव्यक्ति कौशल :** भाषा ही मानव–विचार विनिमय का शक्तिमय साधन है। समाज के सभी सामाजिक कार्य, व्यापार तथा व्यवसाय में भाषा के माध्यम से अपनी बात अभिव्यक्त करनी पड़ती है। मातृभाषा में अभिव्यक्ति सरल होते हुए भी इसको भाषा शिक्षण के माध्यम से प्रभावी बनाया जा सकता है। सतत अभ्यास से वह अपनी अभिव्यक्ति कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। अभिव्यक्ति कौशल को दो प्रकार से विकसित कर सकते हैं :–

1. बोल कर (मौखिक)
2. लिख कर (लिखित रचना)

लेखन कौशल का विकास तीन प्रकार से किया जा सकता है –

(क) साधारण लेखन
(ख) अनुवादित कार्य
(ग) सृजनात्मक कार्य

(क) साधारण लेखन :

सरल विषयों पर छोटे–छोटे वाक्यों को लिखना साधारण लेखन कहलाता है। साधारण लेखन में इतनी कुशलता नज़र नहीं आती। यद्यपि वह स्पष्ट, शुद्ध होता है, परंतु उसमें विभिन्न प्रभावी साहित्यिक शब्दों का चुनाव नहीं होता है। जैसे छोटे–छोटे विषय पर विद्यार्थी निबन्ध लिखते हैं।

(ख) अनुवादित कार्य :

लिखित रचना में अनुवादित कार्य करने का अर्थ है 'रूपान्तरित कार्य करना' अर्थात एक भाषा के साहित्य का रूपान्तरण जब दूसरी भाषा में किया जाता है, तो वह अनुवादित कार्य कहलाता है।

(ग) सृजनात्मक कार्य :

सृजनात्मक लेखन में मौलिक लेखन का समावेश होता है। किसी भी विद्यार्थी के विचारों व भावों को कलात्मक लिखित रूप देना जिसमें सुंदर शब्दों का चयन, प्रभावी वाक्य विन्यास, विचारों में मौलिकता, क्रमबद्धता, सुसंगठितता आदि गुणों का समावेश होता है। यह लेखन उच्च कक्षाओं में किया जाता है। कुछ सुयोग्य, बुद्धिमान विद्यार्थी ही अध्यापक के निर्देशन में प्रभावशाली सृजनात्मक लेखन कार्य कर पाते हैं।

3. **सौंदर्यबोध मूलक उद्देश्य (समीक्षात्मक):** यह उद्देश्य भाषा एवं साहित्य के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है। इसमें छात्र साहित्य का रसास्वादन करते हैं। छात्रों को साहित्य के प्रमुख अंग – रस बोध, सौंदर्य, अलंकार, छन्द, शब्द–शक्तियाँ व समीक्षा (साहित्य के विविध पक्षों

की समालोचना) का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को रसात्मक अनुभूति अर्थात साहित्य का आनन्द लेना और उसका विश्लेषण करना होता है। उदाहरण के लिए पद्य शिक्षण का उद्देश्य अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों में कविता के रसास्वादन और भाव विभोर होने की क्षमता पैदा करना है तथा उसका विकास करना है।

4. **अभिवृत्तात्मक उद्देश्यः** विद्यार्थियों की वृत्तियों को सद्वृत्तियों की ओर ले जाने को अभिवृत्तात्मक उद्देश्य कहा जाता है। भाषा व साहित्य में इतनी क्षमता होती है कि वह छात्रों का वृत्तात्मक पोषण भी करती है। इस उद्देश्य का अर्थ विद्यार्थियों के दृष्टिकोण, आदतों तथा अभिवृत्तियों का विकास करना है। इसमें दो बातें प्रमुख रूप से आती हैं –

1. भाषा और साहित्य में रूचि
2. सद्वृत्तियों का विकास

1. **भाषा और साहित्य में रूचिः** जब तक विद्यार्थी की भाषा और साहित्य में रूचि नहीं होगी, तब तक वह साहित्य प्रेमी नहीं बन सकता। साहित्य का अध्ययन ही सद्वृत्तियों का विकास करता है। इसके बिना मनुष्य के मनोभावों का परिष्कृत होना कठिन कार्य है। अतः सर्वप्रथम अध्यापक भाषा सिखाए और छात्रों में सीखने की रूचि जागृत करे।

प्रसिद्ध विद्वान हरबर्ट के अनुसार, "शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो नहीं पढ़ाना चाहिए। इससे उसके विकास में बाधा पहुँचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उनकी पाठ में रुचि पैदा करनी चाहिए जिससे वे पाठ को अच्छी तरह समझ सकें।"

2. **सद्वृत्तियों का विकासः** जीवन में चाहे कोई साक्षर या निरक्षर है, सद्वृत्तियों का विकास प्रत्येक के लिए अति आवश्यक है। वह मानव मूल्यों की रक्षा करता है।

डब्ल्यू॰ एम॰ रायबर्न के शब्दों में, "स्पष्ट विचार क्षमता, स्पष्ट अभिव्यक्ति, भावना और क्रिया की सफलता, भावात्मक तथा सृजनात्मक जीवन की पूर्णता इन समस्त गुणों का पालन तथा विकास तभी संभव है, जब केवल भावात्मक और बौद्धिक जीवन की नींव, मातृभाषा पर यथेष्ट ध्यान दिया जाये।"

5. **सृजनात्मक उद्देश्यः** मातृभाषा विद्यार्थी में स्वतंत्र चिंतन, मौलिक अभिव्यक्ति, रचनात्मक प्रतिभा आदि का विकास करती है। जैसे–जैसे विद्यार्थी लेखन अभिव्यक्ति करता जाता है, चाहे वह साधारण लेखन से प्रारंभ होती है, वैसे–वैसे वह अपनी अभिव्यक्ति में मौलिकता का समावेश कर लेता है। इसके लिए उसे सतत अध्याय, साहित्य में रुचि, अध्ययनशीलता, चिंतन, मनन की आवश्यकता पड़ती है। कक्षा में होने वाले रचनात्मक कार्य की तरफ़ अध्यापक का विशेष ध्यान जाना चाहिए कि वह अभिव्यक्ति–कौशल को सृजनात्मक धरातल पर लाने का भरसक प्रयत्न करें।

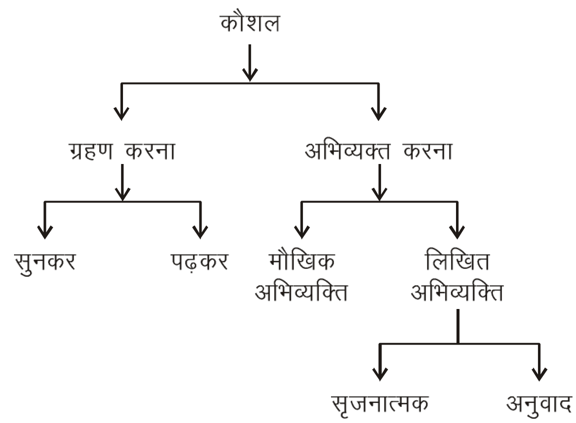

6. **मनोविनोद मूलक उद्देश्य :** मातृभाषा में साहित्य द्वारा कहानियों, एकांकी, उपन्यास, कविताओं आदि से विपुल मनोरंजन होता है। आज समाज में व्याप्त इतनी तनाव भरी ज़िंदगी, जटिलताओं और अधिकाधिक भौतिक सुख–समृद्धियों की चाहत ने मनुष्य को स्वार्थी बना दिया है। वह दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। उसके लिए उसको आमोद–प्रमोद की आवश्यकता होती है। आज चाहे तकनीकी विकास से और भी बहुत–से साधन उपलब्ध हैं पर उन सबका आधार भाषा ही है। जो भी साहित्य उपलब्ध होता है, वह किसी न किसी साधन – टेलीविज़न, सी॰ डी॰, डी॰ वी॰ डी॰, वीडियो, रेडियो के प्रयोग द्वारा ही लोगों तक पहुँचता है तथा आनन्द देता है।

2.4.7 राष्ट्रभाषा या द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी शिक्षण के उद्देश्य

प्रत्येक देश की एक राष्ट्र–भाषा होनी आवश्यक है, जिससे वह अपने देश के अन्य लोगों के साथ संपर्क स्थापित कर सके और यह पूरे देश के समस्त कार्यों जैसे प्रशासनिक एवं न्यायिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक के लिए एकत्व स्थापित करें। राज–भाषा ही पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। इसी तरह भारत के संविधान में हिन्दी को राज–भाषा के रूप में माना गया है। परंतु वास्तविक स्थिति है कि कुछ ही प्रदेशों में हिन्दी को राष्ट्रभाषा, द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है।

1. **प्रशासनिक उद्देश्यः** हिन्दी का प्रसार नित्यप्रति विकसित हो रहा है। इसके प्रयोग की अब कोई सीमा नहीं रह गई है। यह अहिन्दी भाषी प्रदेशों में भी समझी जाने लगी। केंद्रीय कार्यालयों में इसका प्रयोग हो रहा है। इन सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए हिन्दी को केवल जानना ही नहीं बल्कि उसमें प्रवीण होना आवश्यक है। जिससे वह सारे कार्य लिखित रूप में ठीक प्रकार से कर सकें।

2. **व्यावहारिक उद्देश्यः** किसी भी भारतवासी की मातृभाषा कोई भी हो, परंतु उसको भारत के किसी दूरस्थ कोने में यदि जाना हो तो अपना दिन भर का क्रिया–कलाप चलाने के लिए उसको एक भाषा की आवश्यकता पड़ेगी। वह हिन्दी ही है, जो इस कार्य को पूरा

करने की योग्यता रखती है। वह हिन्दी में विचार विनिमय कर सके। इसके लिए हिन्दी का प्रयोग व्यापी होना आवश्यक है। यह तभी संभव है, जब इसको सभी जगह पढ़ाया जाए। जब वह इसको द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ता है, तो वह अपने सामाजिक कार्य को भी भली–भांति निभा सकता है।

3. **साहित्यिक उद्देश्यः** हिन्दी का साहित्य विशाल है। यह आवश्यक है कि सभी अहिन्दी भाषी हिन्दी साहित्य का अध्ययन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें, अहिन्दी भाषी प्रांत के साहित्य से हिन्दी भी बहुत कुछ ग्रहण कर सकती है, जिससे इसका साहित्य अधिक समृद्ध हो सकता है। अब तक भी हिन्दी पर मराठी, बंगला, गुजराती आदि कई भाषाओं के साहित्य का प्रभाव रहा है। इस समय अन्य राज्यों की हिन्दी को पर्याप्त देन रही है अध्यापक अहिन्दी भाषी प्रदेश के विद्यार्थियों को हिन्दी साहित्य को पढ़ने व ज्ञान अर्जित करने के प्रयत्नों को जारी रखे।

4. **सांस्कृतिक उद्देश्यः** हिन्दी–शिक्षण की सभी प्रदेशों में आवश्यकता है, क्योंकि हिन्दी भारतीय संस्कृति का दर्पण है और हर भारतीय को इसका ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, इसलिए विद्यार्थी भी हिन्दी भाषा के माध्यम से हमारी प्राचीन संस्कृति जोकि पूरे विश्व में सम्मानीय है, से परिचित होता है। विद्यार्थी जब तक इस ज्ञान से परिचित नहीं होंगे, तब तक वे भारतीय परम्पराएँ, आदर्श, दर्शन, आध्यात्मिकता, धर्म, इतिहास से अछूते रहेंगे।

5. **भाषा-विषयक उद्देश्यः** अहिन्दी भाषी अपनी भाषा के अतिरिक्त जब दूसरी भाषा हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करेगा, तो उसकी बौद्धिकता का विस्तार होता है। हिन्दी भाषा के ज्ञान से उसकी अपनी मातृभाषा भी सुदृढ़ होगी। नई शैलियाँ, नए वाक्य–प्रयोग सीखेगा। दो भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकेगा। जैसे कि भाषा शास्त्रियों के अनुसार प्रशिक्षण का स्थानांतरण एक भाषा से दूसरी भाषा में हो सकता है।

अतः मातृभाषा के अतिरिक्त हिन्दी का शिक्षण दूसरी भाषा या संपर्क भाषा के रूप में अति आवश्यक है। इससे न केवल विद्यार्थियों को ही लाभ मिलेगा, बल्कि समूचे भारत में सौहार्द के लिए, सहयोग देने तथा वैविध्य में ऐक्य स्थापित के दृष्टिकोण से हिन्दी को पढ़ाना ही होगा, जिससे समूचे राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक उत्थान में सहयोग मिलेगा।

2.4.8 अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिन्दी शिक्षण के उद्देश्य व महत्त्व

उद्देश्य

अन्तर्राष्ट्रीय भाषा विश्व के विभिन्न देशों के आपसी काम–काज, सरकारी पत्र व्यवहार, व्यापारिक आवश्यकताओं की भाषा होती है। यही भाषा देशों को एक दूसरे के निकट लाने में एक सूत्र का काम करती है। पर आजकल हिन्दी को भी संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषा बनाने के प्रयत्न हो रहे हैं। 10वें हिन्दी विश्व सम्मेलन जो कि भोपाल में 10 सितम्बर से 12 सितम्बर 2015 को सम्पन्न हुआ, में हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की छठीं

आधिकारिक भाषा बनाने के प्रयत्नों पर भी विचार–विमर्श किया गया। वह भी दिन आएगा जब हिन्दी को विश्व स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय भाषा का सम्मान प्राप्त होगा। उद्देश्य का वर्णन निम्नानुसार है।

1. विश्व स्तर पर भारतीय प्राचीन संस्कृति का ज्ञान विभिन्न देशों के लोगों तक पहुँचेगा।
2. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का गौरव बढ़ेगा।
3. संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनने से इस भाषा के संरक्षण तथा महत्व में वृद्धि होगी।
4. विश्व के विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक रिश्तों की मजबूती बढ़ेगी जिससे आर्थिक विकास तथा भारत की सम्पन्नताओं में अभिवृद्धि होगी।
5. विश्व के अन्तर्राष्ट्रीय संघों में जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, व्यापारिक संघ, स्वास्थ संघ इत्यादि में राजनीतिक सम्बन्ध मजबूत होगे।
6. हिन्दी भाषा को विभिन्न देशों में पठन–पाठन के महत्व को समझते हुए लोगों के लिए शिक्षण कार्यक्रम तथा स्कूलों, विश्वविद्यालय में इसे ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा।
7. हिन्दी भाषा से हमारे देश की संस्कृति का जागरण होगा, एवं एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ मानववादी दृष्टिकोण स्थापित हो सकेगा। हिन्दी साहित्य द्वारा भारतीय संस्कृति के घोष 'वसुधैवकुटुम्बकम्' के संदेश को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी।
8. हिन्दी सिनेमा जगत की विश्व में धुम है जब हिन्दी भाषा को जानेगें, समझेगें हिन्दी सिनेमा देखने से आर्थिक विकास से भारत लाभान्वित होगा। लोगों की सिनेमा प्रियता से हिन्दी भाषियों में अभिवृद्धि होगी।

महत्त्व

10वां हिन्दी विश्वसम्मेलन जो भारत भूमि के मध्यप्रदेश की भोपाल नगरी में 12 सितम्बर 2015 को सम्पन्न हुआ है। जिस में 39 देशों के हिन्दी भाषी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इससे पता चलता है कि हिन्दी भाषा के कदम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते जा रहे हैं। आज विश्व के 144 देशों में हिन्दी पढ़ाई जाती है। विदेश के 180 विश्वविद्यालयों सहित छः सौ विद्यालयों में हिन्दी भाषा पढ़ाई जा रही है। इस आधार पर यह मानने में कोई संकोच नहीं है, कि आज हिन्दी विश्व की प्रथम भाषा है।"

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा के रूप में हिन्दी का महत्व : हिन्दी आधुनिक 'इण्डो आर्य' भाषा है जो मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान, त्रिनिनाद, थाईलैंड, श्रीलंका, फिजी, सूरीनाम, यू.ए.ई., गुआना, दक्षिण अफ्रीका, बंगलादेश, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाड़ा, आस्ट्रेलिया, नेपाल, न्यूजीलैंड मॉरिशस, युगान्डा, यमन, सिंगापुर, इण्डोनेशिया, रूस, जर्मनी, हालैण्ड एवं अरब देश व अरब अमीरात आदि देशों में समझी बोली, लिखी जाती है। वैश्विक बाज़ार में भारत की

स्थिति अच्छी है तो हिन्दी को तो अब बढ़ावा मिलेगा। विदेशी लोग व्यापारिक–कार्यों हेतु हिन्दी भाषीये से सम्पर्क बढ़ाने हेतू हिन्दी समझे व सीखगें।

1. **अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी भाषीयों की संख्या में वृद्धिः** हिन्दी आधुनिक इण्डो आर्य भाषा है। आर्य भाषाओं का सम्बन्ध मुख्यतः यूरोप उत्तर–भारत ईरान तथा अफगानिस्तान से है। अब हिन्दी–भाषा इन देशों में प्रसार होने से समझने वालों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इसे विश्व में समझने वालों की संख्या के आधार पर प्रथम भाषा माना जा रहा है। करोड़ों भारतीय विदेशों में रह कर हिन्दी की सेवा में समर्पित है। विदेशियों की हिन्दी भाषा सीखने में रूचि बढ़ रही। अन्तर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसी उद्देश्य से की गई कि विश्व में जो हिन्दी की सेवा में आना चाहते है व सीखना चाहते हैं उनके लिए भारत के दरवाजे खोल दिए गए। उन्हें यह संस्था सहयोग करेगी।

2 **आपस में सांस्कृतियों के मेल से हिन्दी में वृद्धिः** भारतीय संस्कृति का विश्व पटल पर प्रचार हिन्दी के माध्यम से ही हो रहा है। जितनी हिन्दी भाषा में युग–पुरूषों, महान चरित्रों और भावी पीढ़ी में नैतिकता, संयम, बलिदान, व संस्कृति के प्रति आस्था व विश्वास पैदा करने की क्षमता है उतनी भारत की अन्य किसी भाषा में नहीं है। केन्द्रीय हिन्दी संस्थान राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके प्रचार एवं प्रसार के लिए प्रयासरत है अबसंयुक्त राष्ट्र संघ हिन्दी में संयुक्त राष्ट्र रेडियो वेबसाइट पर कार्यक्रम प्रदान कर रहा है।

3. **अन्तर्राष्ट्रीय एकता के रूप में हिन्दी का महत्वः** भारतीय संस्कृति का जयघोष 'वसुधैव कुटुम्बकम' रहा है। भारत अपने राष्ट्र के विकास के साथ दूसरे देशों के विकास के लिए प्रयासरत रहता है। हिन्दी साहित्य दुनिया में मानवतावाद की स्थापना के लिए कार्यरत है। हिन्दी का साहित्य जो कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध है अन्तर्राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। मानववादी दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है।

4. **विश्व स्तर पर संचार की भाषा के रूप में हिन्दी का महत्त्वः** आज का युग इंटरनेट का युग है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व की जानकारियों की भाषा अंग्रेजी के साथ हिन्दी भी है। सुपर इन्फोसॉफट ने अनुवाद के लिए 'अनुवादक' नामक सॉफटवेयर विकसित कर लिया है। हिन्दी फॉन्टस कई वैबसाइटों पर निःशुल्क उपलब्ध है। राजा भाषा विभाग की वैबसाइट से इन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। सो संचार की भाषा के लिए हिन्दी की संभावनाएं खुल चुकी है।

5. **सिनेमा, चैनलों एवं सूचना प्रोद्योगिकी में हिन्दी का महत्वः** भारतीय हिन्दी बाजार की लोकप्रियता देखकर अनेक विदेशी चैनलों का प्रसारण हिन्दी में होने लगा है जैसे 'डिस्कवरी' व 'ज्योग्राफी' चैनल हिन्दी में लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। सिनेमा व्यापार ने बहुत से देशों में हिन्दी का प्रसार किया है। विदेशों में लोग हिन्दी बोल या लिख नहीं सकते पर सिनेमा से लोग हिन्दी समझने में सक्षम हो चुके हैं जो कि विश्वस्तर पर बहुत बड़ी उपलब्धि है। हिन्दी सिनेमा की विश्व बाजार में मांग बढ़ रही है।

6. **विश्वस्तर पर व्यवसाय के लिए हिन्दी भाषा का महत्वः** जिस प्रकार से हिन्दी विश्वस्तरीय भाषा बनने जा रही है और यू॰ एन॰ ओ॰ में छठी अधिकारिक भाषा बनाने के

लिए सरकार प्रयासरत है उस पर वित्तीय बोझ को वहन करने को भी सरकार तैयार है। आने वाले समय में हिन्दी भाषियों के लिए व्यवसाय के अवसर मिलने में देरी नहीं है। दूसरे देशों में अध्ययन अध्यापन के कार्यक्रम भी शुरू होंगे। हिन्दी विश्वस्तर पर व्यवसाय की, कामकाज की भाषा बनेगी।

2.4.9 निष्कर्ष:

अब तक हिन्दी के विकास में राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव नजर आता था क्योंकि संविधान के लागू होने 65 वर्ष ऊपर होने पर भी हिन्दी को राजभाषा के रूप में पूरी तरह स्थापित नहीं किया जा सका था अब 69वें संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में भारतीय प्रधानमन्त्री श्री मोदी ने अपना सम्बोधन हिंदी में दिया और सरकार हिन्दी को आधिकाधिक दर्जा संयुक्त राष्ट्र संघ की छठी भाषा के रूप में मान्यता दिलाने के लिए प्रयास रत नज़र आ रही है। यदि ऐसा हो जाए तथा निश्चित ही विश्व पटल पर हिन्दी की बिन्दी संयुक्त राष्ट्र को माथे पर सज कर महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लेगी।

2.4.10 अभ्यास के लिए प्रश्न :

(i) मातृभाषा के रूप में हिंदी एवं प्रादेशिक भाषा के रूप में हिन्दी का विस्तार से वर्णन करें।

(ii) हिंदी को राष्ट्रभाषा एवं शिक्षा के माध्यम रूप से आप क्या समझते हैं।

(iii) अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के उद्देश्य लिखिए।

2.4.11 सहायक पुस्तकें :

1. हिन्दी शिक्षण – डा. जय नारायण कौशिक हरियाणा साहित्य अकादमी, चण्डीगढ़।
2. हिन्दी भाषा शिक्षण – भाई योगेन्द्रजीत, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
3. आधुनिक हिन्दी शिक्षण – डा. जसबन्त सिंह जस न्यू बुक कम्पनी, भाई हीरा गेट, जालन्धर।
4. हिन्दी शिक्षण – केशव प्रसाद धनपत राय एण्ड सन्स, नई सड़क, दिल्ली।